[2020] 12 एस. सी. आर. 301

जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। & ओआरएस।

वी.

अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 8625-8626 2019 का)

31 अगस्त, 2020

[अरुण मिश्रा, वाइन सरन और एम. आर. शाह, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003 - एस. 63-'कानून में परिवर्तन' क्षतिपूर्ति

- अपीलार्थी राज्य में बिजली वितरण लाइसेंसधारी है राजस्थान-इसने अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) के साथ 28.1.2010 पर बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया।

एस के संदर्भ में एक प्रशुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसरण में कंपनी उत्पन्न करना। 63 अधिनियम की-पी. पी. ए. की शर्तों में एक

शुल्क, जो केवल पी. पी. ए. में निहित विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार भिन्न हो सकता है, और अन्यथा नहीं-पी. पी. ए. ने अभिनिर्धारित किया

प्राथमिक ईंधन के रूप में घरेलू कोयले का उपयोग-इस बीच, नई कोयला वितरण नीति, 2013 (2013 का एन. सी. डी. पी.) को अधिसूचित किया गया था

26.7.2013 केंद्र सरकार द्वारा-पी. पी. ए. में कानूनी प्रावधानों में बदलाव के तहत बढ़े हुए शुल्क के लिए ए. पी. आर. एल. का दावा-धारण करने की योग्यताः पार्टियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि बोली का मूल्यांकन घरेलू कोयले के आधार पर किया गया था, और वृद्धि भी घरेलू कोयले पर आधारित थी-यह दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी थी-नीति में कहा गया था कि

इसके बाद 2013 के एन. सी. डी. पी. के संदर्भ में संशोधित किया गया, इस प्रकार 2007 के एन. सी. डी. पी. के तहत भारत सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन छीन लिया गया-पी. पी. ए. घरेलू कानून पर आधारित था और एक

घरेलू कानून में बदलाव-यह निवेदन कि बोली और पी. पी. ए. आयातित कोयले पर आधारित थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता है-जब कोयला प्राप्त करने के संबंध में नीति में बदलाव हुआ था, जिस पर पी. पी. ए. में सहमति हुई थी, तो कानून में बदलाव लागू होगा।

-

कानून में बदलाव के कारण क्षतिपूर्ति की आवश्यकता-वही है पुनर्स्थापन के सिद्धांत के आधार पर-ए. पी. आर. एल. तदनुसार पी. पी. ए. के अनुच्छेद 10 में प्रदान किए गए कानून में परिवर्तन के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार है-सिद्धांत/सिद्धांत-पुनर्स्थापन का सिद्धांत।

विद्युत अधिनियम - s.125-दायरे के तहत अपील-आयोजितः दायरा

अपील यू / विद्युत अधिनियम का s.125 s के समान है। 100 तथ्यों पर आधारित सी. पी. सी. समवर्ती निष्कर्षों को अपील-अपील में बाधित नहीं किया जा सकता है।

[2020] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . अभिलेख पर दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि ए. पी. आर. एल. की बोली केवल घरेलू कोयले पर आधारित थी।

इसका मूल्यांकन इस प्रकार किया गया था और बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.) भी इसे दर्ज करता है। दल इस बात पर सहमत हुए कि बोली का मूल्यांकन घरेलू कोयले के आधार पर किया गया था, और वृद्धि भी घरेलू कोयले पर आधारित थी। तदनुसार, पी. पी. ए. में प्रवेश किया गया था, और पी. पी. ए. में प्राथमिक ईंधन कैप्टिव कोयला ब्लॉक/कोयला लिंकेज से घरेलू कोयला और आयातित कोयले को फॉलबैक समर्थन व्यवस्था के रूप में उल्लेख किया गया था। यह दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी था। पी. पी. ए. के अनुच्छेद 1 के तहत, प्राथमिक ईंधन का उल्लेख घरेलू कोयले के रूप में किया गया था, जैसे कि यह निवेदन कि बोली और पी. पी. ए. आयातित कोयले पर आधारित थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 39,40] [329-सी-डी, एफ-जी; 330-ए-बी]

1.2 . पी. पी. ए. अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी है, और अनुमोदन

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आर. ई. आर. सी.) द्वारा शुल्क का निर्धारण घरेलू कोयले पर आधारित था। राजस्थान डिस्कॉम (अपीलार्थी सहित) आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले पर आधारित बोली पर शुल्क में कम वृद्धि के संभावित लाभ के कारण घरेलू कोयले का उपयोग करने के लिए सहमत हुए। बोली मूल्यांकन समिति का निर्णय उनके सर्वोत्तम हित में पाया गया।

इस प्रकार, ए. पी. आर. एल. की बोली आयातित कोयले पर आधारित नहीं थी, जो राजस्थान डिस्कॉम के पक्ष में नहीं होती और

इसके परिणामस्वरूप शुल्क में और वृद्धि हुई। इस प्रकार, ए. पी. आर. एल. को उसी मूलभूत आधार के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जिसके आधार पर आर. ई. आर. सी. ने अपनी बोली को मंजूरी दी थी। ए. पी. आर. एल. को दोनों ओर से पीड़ित नहीं किया जा सका। विभिन्न दस्तावेजों और पी. पी. ए. से यह स्पष्ट होता है कि इसकी बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी और अनुमोदित शुल्क घरेलू कोयले पर आधारित था, आर. ई. आर. सी. का आदेश अंतिम है।

निर्णायक, और पक्षों पर बाध्यकारी; इस पर सवाल नहीं उठाया गया है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके विपरीत कोई स्टैंड नहीं था राजस्थान डिस्कॉम द्वारा लेने की अनुमति है। [पैरा 41] [330 बी-ई]

1.3 . आर. ई. आर. सी. के समक्ष राजस्थान डिस्कॉम द्वारा दायर दिनांक 31.7.2013 के जवाब से यह स्पष्ट है जिसमें यह स्पष्ट रूप से था। यह स्वीकार किया कि केंद्र सरकार से घरेलू कोयले की अनुपलब्धता ए. पी. आर. एल. के मामले को कानून में बदलाव के दायरे में लाएगी। आर. ई. आर. सी. के समक्ष राजस्थान डिस्कॉम ने जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड को प्रवेश दिया।

वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

कि बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी, जिसकी अनुपलब्धता ए. पी. आर. एल. को पी. पी. ए. के अनुच्छेद 10 में दिए गए कानून में परिवर्तन के तहत मुआवजे का दावा करने का अधिकार देती है। [पैरा 42] [330-एफ]

1.4 . यह स्पष्ट है कि आर. ई. आर. सी. के साथ-साथ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष

(ए. पी. टी. ई. एल.) किसी भी दुर्बलता या विकृति से पीड़ित नहीं हैं, और वे बाध्यकारी हैं। धारा 125 के तहत अपील के दायरे के रूप में विद्युत अधिनियम सी. पी. सी. की धारा 100 के समान है और तथ्यों पर आधारित समवर्ती निष्कर्षों को अपील में बाधित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 45] [331-बी-सी]

एनर्जी वॉचडॉग बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य। (2017) 14 एससीसी 80: [2017] 3 एस. सी. आर. 153; डी. एस. आर. स्टील (निजी) लिमिटेड v. राजस्थान राज्य

और ओआरएस। (2012) 6 एससीसी 782: [2012] 5 एस. सी. आर. 583; तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड

वी. पी. पी. एन. पावर जेनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

(2014) 11 एससीसी 53: [2014] 4 एससीआर 667 और वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. (2016) 16 एस. सी. सी. 541 पर भरोसा किया।

1.5 . इसके अलावा, एक बार आर. ई. आर. सी. के समक्ष स्वीकार करने के बाद

टैरिफ के अनुमोदन और घरेलू कोयले के टैरिफ का मूल्यांकन करने और 31.7.2013 और 4.8.2017 पर फिर से प्रवेश करने का समय, यह अस्वीकार करने के लिए खुला नहीं है क्योंकि पार्टियों को विभिन्न चरणों में अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं है। आयातित कोयले के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता (एफ. एस. ए.) एक स्टैंडबाय व्यवस्था थी, लेकिन पूरी बोली, शुल्क और समझौता घरेलू कोयले पर आधारित था। इस प्रकार, कानून में परिवर्तन के कारण अनुपलब्धता के परिणाम हो सकते हैं

भाग न पाएँ। [पारस 46,47] [331-डी-ई; 331-जी-एच]

महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का आधिकारिक परिसमापक (परिसमापन में) और ओआरएस। (2018) 10 एससीसी 707: [2018] 12 एस. सी. आर. 906 और आर. एन. गोसैन बनाम यशपाल धीर, (1992) 4

एस. सी. सी. 683 [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 257-निर्भर।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घरेलू संपर्क कोयले की आपूर्ति। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि ए. पी. आर. एल. कानून के प्रावधान में बदलाव के तहत राहत का हकदार होगा। घरेलू संपर्क कोयले की आपूर्ति में कमी की सीमा तक। ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष उचित, उचित और असाधारण हैं। [पारस 48,49] [332-बी-सी; 333-डी]

2.1 . विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत जारी 2005 के सांविधिक दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 में प्रावधान किया गया है कि

घरेलू कोयले के लिए बोली लगाने वाले ने ठोस व्यवस्था की होगी

ईंधन संबंध-या तो कोयला ब्लॉक आवंटन या ईंधन संयोजन के माध्यम से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान सरकार ने आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2008 में एपीआरएल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया था। घरेलू कोयला और इसने परियोजना के लिए केंद्र सरकार से कोयला ब्लॉक या किसी अन्य स्रोत से कोयला प्राप्त करने के लिए कवाई परियोजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने का बीड़ा उठाया था। एक बार जब राजस्थान सरकार ने अनुच्छेद 2.2 वाले दिनांक 1 दिनांकित समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया, तो केंद्र सरकार द्वारा कोयला लिंकेज/कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किए जाने की स्थिति में परियोजना के लिए किसी अन्य स्रोत से कोयला उपलब्ध कराना राजस्थान राज्य का दायित्व था। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को कोयला खदान से एपीआरएल को कोयला उपलब्ध कराने के लिए भी लिखा था, लेकिन कमी के कारण इसकी आपूर्ति एपीआरएल को नहीं की जा सकी। इस प्रकार, राजस्थान सरकार किसी अन्य स्रोत से कोयला उपलब्ध कराने में विफल रही। [पैरा 50] [333 डी-एच]

स्पष्ट रूप से स्थायी संबंध समिति द्वारा आवेदन के अनुमोदन पर। कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण इसे लंबित रखा गया था और अंततः शक्ति के तहत संसाधित किया गया था। नीति और 100 प्रतिशत के लिए जुड़ाव जनवरी 2018 से दिया गया था। इस प्रकार, पहले कोयले की मात्रा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा सकती थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां ए. पी. आर. एल. को अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन पूर्व प्रतिबद्धताएं और कोयले की अनुपलब्धता 2007 के एन. सी. डी. पी. के तहत घरेलू कोयला लिंकेज प्राप्त करने में विफलता के रास्ते में आई, जिसे स्वयं 26.7.2013 से बदल दिया गया था। [पैरा 51] [334-जी-एच; 335-ए] जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड।

वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

3.1 . ए. पी. आर. एल. का दावा 2013 में कानून में बदलाव की तारीख पर आधारित है। मान लीजिए, इससे पहले 2007 का एन. सी. डी. पी. प्रबल था

निर्धारित तिथि, यानी बोली जमा करने से 7 दिन पहले। द.

पीपीए घरेलू कोयले पर आधारित था और इसकी उपलब्धता 2007 के एन. सी. डी. पी. पर आधारित थी। एन. सी. डी. पी. दिनांक 26.7.2013 में, 2007 के एन. सी. डी. पी. को इस प्रभाव से संशोधित किया गया था कि बिजली परियोजनाओं को पहले की अनुमति का केवल एक निश्चित प्रतिशत ही मिलेगा। [पारस 52,53] [335-बी; 335-ई-एफ]

3.2 . स्थायी संबंध समिति (दीर्घकालिक) के दिनांकित 31.5.2013 निर्णय से यह स्पष्ट है कि आवेदन ए. पी. आर. एल. को स्थगित रखा गया था। इसने कोयला लिंकेज के लिए आवेदन किया

उपलब्धता, 4660 मेगावाट तक जिसका कोई ईंधन संपर्क नहीं है। कवाई परियोजना को उसी में शामिल किया गया था। नीति को संशोधित किया गया था, इस प्रकार 2007 के एन. सी. डी. पी. के तहत भारत सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन छीन लिया गया था। 100 प्रतिशत आपूर्ति का प्रावधान हटा लिया गया। [पैरा 54] [335-एफ-एच; 336-ए-सी] 3.3 . अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि विदेशी कानून में बदलाव के कारण लाभ मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, [2020] 12 एस. सी. आर. है।

3.4 . कानून में परिवर्तन का उद्देश्य मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से उस हद तक बहाल करना है जिस पर विचार किया गया है कि प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में रखा जाता है जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि मासिक शुल्क घरेलू कानून पर निर्धारित किया गया था, इसलिए कानून में बदलाव के कारण उस आधार पर क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है। यही पुनर्स्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। जब इस संबंध में नीति में परिवर्तन किया गया था

कोयला प्राप्त करना, जिस पर पी. पी. ए. में सहमति हुई थी, कानून में परिवर्तन लागू होगा। [पारस 58,59] [341-जी-एच; 342-ए, जी]

4.1 . अनुच्छेद 1 और अनुसूची 5 के तहत पी. पी. ए. घरेलू कोयले को प्राथमिक ईंधन के रूप में और आयातित कोयले को फॉलबैक के रूप में प्रदान करता है।

व्यवस्था करें। जबकि कानून में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 10 में किया गया था। पी. पी. ए. का अनुच्छेद 10 स्पष्ट रूप से आकर्षित करता है कि कानून में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा था। अनुच्छेद 10 को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है; समझौता बाध्यकारी है और इसे कायम रहना चाहिए। [पारस 62,63] [346-एफ-एच; 347-बी-सी]

4.2 . आर. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. ने समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं

कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रत्यर्थी के पक्ष में, जिसके साथ यह न्यायालय भी सहमत है। [पैरा 66] [347-ई-एफ]

5. कानून में बदलाव की याचिका शुरू में वर्ष 2013 में ए. पी. आर. एल. द्वारा उठाई गई थी। वर्ष 2013 में ए. पी. आर. एल. द्वारा भी एक मामला दर्ज किया गया था।

स्वयं इस आधार पर अपना दावा करते हैं। हालाँकि, अपीलकर्ता राजस्थान डिस्कॉम ने कानून में परिवर्तन के संबंध में दावे की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण ए. पी. आर. एल. वर्ष 2013 में कानून में परिवर्तन की तारीख से बिलों को उठाने से वंचित था। विलंबित भुगतान अधिभार की देयता जो अपीलार्थियों पर लगाई गई है, बकाया भुगतान की राशि पर लागू एस. बी. ए. आर. प्रति वर्ष से 2 प्रतिशत अधिक की दर से है, जिसकी गणना विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक आधार पर (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) की जाती है। इस मामले के तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और पूर्ण न्याय करने और अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम के दायित्व को कम करने के लिए, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 2 प्रतिशत अधिक का भुगतान।

वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

मासिक विश्राम के साथ लागू एस. बी. ए. आर. प्रति वर्ष अधिक होगा। अपीलार्थियों को निर्देश देना उचित होगा। राजस्थान डिस्कॉम संबंधित वर्षों के लिए लागू एस. बी. ए. आर. के अनुसार ब्याज/विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करेगी, जो प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि मासिक विश्राम के बजाय ब्याज प्रति वर्ष चक्रवृद्धि किया जाएगा। यह है।

तदनुसार निर्देश दिया गया कि ब्याज की दर/विलंबित भुगतान

अधिभार एस. बी. ए. आर. पर होगा, जो वार्षिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक होगा।

(जैसा कि पी. पी. ए. के अनुच्छेद 8.3.5 में प्रावधान किया गया है) वर्तमान मामले में आरोपित नहीं किया जाएगा। [पारस 66,67 और 68] [349-ए-ई]

6. अति-चालान के संबंध में एक निवेदन प्रस्तुत किया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि कथित अति-चालान के संबंध में डी. आर. आई. द्वारा कोयले के 40 आयातकों की जांच की जा रही है। हालाँकि, यह भी स्वीकार किया गया कि इसमें कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है

अब तक की जांच हो चुकी है। जब तक सक्षम अदालत द्वारा चालान के रूप में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक प्रस्तुतिकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि ओवर-इनवॉयसिंग है। [पैरा 69] [349-ई-जी]

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

[2017] 3 एससीआर 153

पै

रा 24

[2012] 5 एससीआर 583

उस पर भरोसा करें

पै

रा 45

[2014] 4 एससीआर 667

उस पर भरोसा करें

पै

रा 45

(2016) 16 एस. सी. सी. 541

उस पर भरोसा करें

पै

रा 45

[2018] 12 एससीआर 906

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

[1992] 2 पूरक। एससीआर 257

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8625

8626 2019 से।

अपीलीय के 14.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विद्युत न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने अपील सं. 202 और 2018 का 305।

के साथ

सिविल अपील सं। 3021 , 3022-3023 2020 से।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. आर्यमा सुंदरम, बसव प्रभु पाटिल, डॉ. ए. एम. सिंघवी, अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, जतिन भारद्वाज, सुश्री नेहा राठी, सुश्री रंजीता रामचंद्रन, निकुंज दयाल, शुभम आर्य, गीत आहूजा, महेश अग्रवाल, अमित कपूर, सुश्री पूनम वर्मा, अर्शित आनंद, एम. एस. अनंत, सुश्री साक्षी कपूर, मालव डेलीवाला, अजीम सैमुअल, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

न्याय

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 (संक्षेप में, 'बिजली अधिनियम') के संदर्भ में शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसरण में कंपनी। पी. पी. ए. की शर्तों में एक शुल्क शामिल था, और इसे केवल पी. पी. ए. में निहित विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार बदला जा सकता था, अन्यथा नहीं।

2. ए. पी. आर. एल. ने पी. पी. ए. (अनुच्छेद 10) में कानून के प्रावधानों में बदलाव के तहत शुल्क बढ़ाने का दावा किया। 23.10.2006 पर, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (संक्षेप में, 'RVUN') ने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में अपने चयन से अवगत कराया। यह कहा गया कि प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियाँ आर. वी. यू. एन. के मौजूदा/नए ताप विद्युत स्टेशनों और/या राज्य की नई परियोजनाओं की आवश्यकता के लिए आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉक से कोयले के खनन और आपूर्ति तक सीमित होंगी।

3. 2.8.2007 पर, आर. वी. यू. एन. द्वारा अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड (संक्षेप में, 'ए. ई. एल.') के पक्ष में एक आशय पत्र (संक्षेप में, 'एल. ओ. एल.') जारी किया गया था।

पारसा ईस्ट और केंटे बासन में एक संयुक्त उद्यम के तहत कोयला ब्लॉक का विकास, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोयले का उपयोग राजस्थान सरकार के विवेक पर नई आगामी परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

संयुक्त उद्यम या आई. पी. पी. के अधीन राज्य।

4. आई. डी. 1 पर, कोयला मंत्रालय द्वारा नई कोयला वितरण नीति (एन. सी. डी. पी.) पेश की गई थी, जिसमें बिजली संयंत्रों को 100 प्रतिशत घरेलू कोयले का आश्वासन दिया गया था जो मानक क्षमता का 85 प्रतिशत है।

5. 20.3.2008 पर, दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

राजस्थान सरकार और ए. ई. एल. कोयला आधारित ताप विद्युत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना करेंगे।

वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

कवाई, जिला बारां, राजस्थान के पास 1200 मेगावाट ± 10 प्रतिशत क्षमता की उत्पादन परियोजना। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपये थी। यह प्रावधान किया गया था कि राजस्थान राज्य को परियोजना के लिए केंद्र सरकार से कोयला लिंकेज या किसी अन्य स्रोत से कोयला प्राप्त करने की सुविधा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने थे। 6. 16.5.2008 पर, ए. पी. आर. एल. ने राजस्थान सरकार से परसा पूर्व और केंटे बासन कोयला ब्लॉक से कोयला आवंटित करने का अनुरोध किया।

7. 21.5.2008 पर, ए. पी. आर. एल. को यह सूचित किया गया था कि राज्य से कोयला संपर्क प्राप्त करने के लिए राज्य सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

28.5.2008 , 9.6.2008 , 11.6.2008 , और 16.6.2008। 29.8.2008 पर, राजस्थान सरकार से आर. वी. यू. एन. को प्रवेश करने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था। सरकारी वितरण योजना के तहत कवाई परियोजना को कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए समझौता ज्ञापन करना और कोयला मंत्रालय को आवेदन करना।

8. 25.2.2009 पर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (संक्षेप में, आर. एफ. पी.) द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध (संक्षेप में, 'आर. एफ. पी.') जारी किया गया था।

' आर. वी. पी. एन.) खरीददारों की बेसलोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए केस-1 बोली प्रक्रिया के तहत शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दीर्घकालिक बिजली की खरीद के लिए।

9. 19.3.2009 पर, एईएल द्वारा राजस्थान सरकार से एक वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। 2.4.2009 पर, विद्युत मंत्रालय द्वारा केस-1 के लिए एक मानक बोली दस्तावेज अधिसूचित किया गया था। 22.6.2009 पर, ए. पी. आर. एल. ने राजस्थान सरकार से मौजूदा कोयला ब्लॉकों से अधिशेष कोयला खदान आवंटित करने और समझौता ज्ञापन के विस्तार के लिए एक अनुरोध किया, जो 20.3.2009 पर समाप्त होने वाला था। एक विकल्प के रूप में, ए. ई. एल. 36 अमरीकी डॉलर प्रति एम. टी. की रियायती कीमत पर इंडोनेशियाई कोयले पर बातचीत करने में सक्षम था। इंडोनेशिया से परियोजना के लिए मानक कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला आपूर्ति समझौते (संक्षेप में, 'सीएसए') पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता 10.6.2010 पर समाप्त कर दिया गया था।

10. आई. डी. 1 पर, ए. पी. आर. एल. ने कोयला मंत्रालय से दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्रों से 'एफ' श्रेणी के कोयले को दीर्घकालिक रूप से जोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया

प्रति वर्ष 7.082 एम. टी. कोयले के लिए कवाई परियोजना के लिए सीमित।

बातचीत के बाद स्तरित शुल्क रुपये पर तय किया गया था। 25 वर्षों के लिए 3.238/KWh। बोली में शुल्क घरेलू कोयले के आधार पर उद्धृत किया गया था। आयातित कोयला सीमित था, एक अस्थायी उपाय होने के नाते, सरकारी उपकरण द्वारा घरेलू कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू होने तक फॉलबैक समर्थन विकल्प के रूप में। 12. आई. डी. 1 पर, ए. ई. एल. ने अन्य बातों के साथ-साथ कवाई परियोजना की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्टे (विस्तार) कोयला ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया।

परियोजनाओं की स्थापित क्षमताएँ। कवाई परियोजना से उत्पन्न बिजली का 50 प्रतिशत राजस्थान राज्य को बेचने की पहले की प्रतिबद्धता के विपरीत, ए. ई. एल. ने बोली प्रक्रिया में सफल होने पर उत्पादित पूरी बिजली राज्य को देने की प्रतिबद्धता जताई।

13. बोली में ईंधन व्यवस्था के रूप में अपनी बोली का मूल्यांकन करने के लिए एपीआरएल द्वारा प्रस्तुत बोली के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था, घरेलू कोयला और आयातित कोयला दोनों का संकेत दिया गया था। ए. पी. आर. एल. को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि ईंधन के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ए. पी. आर. एल. ने 12.9.2009 पर स्पष्ट किया कि इसकी बोली का मूल्यांकन घरेलू कोयला समझौते के आधार पर किया जाना चाहिए। ए. पी. आर. एल. ने घरेलू कोयले पर विचार करते हुए भुगतान करने का बीड़ा उठाया

पी. पी. ए. की अवधि के दौरान वृद्धि स्वीकार्य होगी।

14. 3.12.2009 पर, ए. पी. आर. एल. ने आर. वी. पी. एन. को एक संदेश जारी किया। राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए समर्थन के कारण

कवाई परियोजना के विकास के संबंध में, स्तरित शुल्क में 1 पैसे की कमी की जा रही थी। 3.238 Kwh। 17.12.2009 पर, प्रस्तुत बोली के अनुसार, आरवीपीएन द्वारा एपीआरएल को एक एलओएल जारी किया गया था। 18.12.2009 पर, आर. वी. पी. एन. को बिना शर्त स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया था।

15. आई. डी. 1 पर, ए. पी. आर. एल. ने 1200 मेगावाट की कुल अनुबंधित क्षमता की आपूर्ति के लिए तीन खरीदारों, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ पी. पी. ए. निष्पादित किया। पी. पी. ए. बताता है

प्राथमिक ईंधन के रूप में घरेलू कोयले का उपयोग, जबकि आयातित कोयले का उपयोग एक बचाव व्यवस्था के रूप में किया जा सकता है।

जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

16. आई. डी. 1 पर, ए. पी. आर. एल. ने कवाई बिजली परियोजना को कोयले की आपूर्ति के लिए कैप्टिव कोयला ब्लॉक का आवंटन प्राप्त करने के लिए सी. एम. डी.-आर. आर. वी. यू. एन. एल. को सूचित किया और धोए गए कोयले को स्वीकार करने की पुष्टि की।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड-राजस्थान डिस्कॉम जिनका पी. पी. ए. 28.1.2010 पर दर्ज किया गया था। डब्ल्यू. ई. एफ. 20.3.2010 की एक वर्ष की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन की वैधता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गई।

18. 25.2.2010 पर, आर. वी. पी. एन. ने राजस्थान डिस्कॉम की ओर से राज्य आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की ए. पी. आर. एल. द्वारा उद्धृत शुल्क को अपनाने के लिए आयोग

प्रतिस्पर्धी बोली। राज्य आयोग ने 1000 मेगावाट की खरीद के लिए शुल्क को अपनाने के संबंध में 31.5.2010 पर एक आदेश पारित किया और विशिष्ट टिप्पणियां कीं।

कोयले के अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के संदर्भ में। 20. ए. पी. आर. एल. ने बिजली मंत्रालय, भारत सरकार को 11.10.2011 पर एक पत्र लिखा है, जिसमें 12 वीं तारीख के साथ-साथ इसे कोयला लिंकेज देने के लिए कहा गया है।

पंचवर्षीय योजना परियोजनाएं; हालाँकि, विभिन्न कारणों से इसमें एक वर्ष से अधिक की देरी हुई, जिसके कारण पीपीए के तहत बाद की शर्तों को पूरा नहीं किया जा सका, और कवाई परियोजना को धन देने वालों ने कोयला लिंकेज आवंटन में देरी के कारण दंडात्मक ब्याज लगाना शुरू कर दिया था। कवाई परियोजना के लिए कोयला लिंकेज के अनुदान के लिए अनुरोध किया गया था। यह कहा गया कि सी. आई. एल. को 11 वीं पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं के लिए एफ. एस. ए. निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 12 वीं पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। की अनुपलब्धता के आलोक में

घरेलू कोयला और वैकल्पिक ईंधन की निषेधात्मक लागत, कवाई परियोजना प्रतिबद्ध शुल्क के लिए अव्यवहारिक हो गई। इसलिए, कोयले को जोड़ने का अनुरोध किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के दिनांकित पत्र के जवाब में बताया कि कवाई परियोजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना परियोजना के रूप में जोड़ने की सिफारिश की गई है। इस बीच, [2020] 12 एस. सी. आर. की सरकार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान में बिजली परियोजनाओं के लिए कोयले की मांग को कम करने के लिए राजस्थान उन्हें आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉकों, अर्थात् परसा पूर्व और कांटे बासन की खनन योजना क्षमता को संशोधित करने पर विचार कर सकता है।

21. 21.6.2012 पर, ए. पी. आर. एल. ने राजस्थान डिस्कॉम को कोयले की आपूर्ति की उपलब्धता में अनिश्चितताओं और उनके नियंत्रण से बाहर होने के बारे में सूचित किया। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न प्रयासों के बावजूद, न तो कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया और न ही कोयला लिंकेज। यह भी बताया गया कि इंडोनेशिया में नियामक परिवर्तन के बाद, जो केवल अधिसूचित मूल्य, डब्ल्यू. ई. एफ. 11.9.2011 पर कोयले के निर्यात को अनिवार्य करता है, आयातित कोयले की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है जिससे आयातित कोयले का उपयोग निषेधात्मक हो गया है। यदि कोयले को जोड़ने या कैप्टिव कोयले के आवंटन की शीघ्र व्यवस्था नहीं की गई, तो सरकार की परियोजनाओं का संचालन बाधित होगा। 5.11.2012 पर, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि परसा पूर्व और केंटे बासन कोयला ब्लॉकों में कोई अधिशेष कोयला नहीं है, जिसे कवाई परियोजना को आवंटित किया जा सकता है। हालांकि, राजस्थान सरकार ने

22.11.2012 , विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर सूचित किया कि राजस्थान डिस्कॉम ने दीर्घकालिक पी. पी. ए. को लागू किया है।

एपीआरएल। यह कहा गया था कि यदि दीर्घकालिक कोयला संपर्क प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य प्रतिस्पर्धी स्तर पर 1200 मेगावाट बिजली से वंचित हो जाएगा

दरें, और राजस्थान पहले से ही भारी कमी का सामना कर रहा था। आई. डी. 1 पर राजस्थान सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं को कोयला लिंकेज आवंटित करने के लिए एक और पत्र लिखा गया था। 22. चूंकि कोई कोयला लिंकेज नहीं दिया गया था, इसलिए ए. ई. एल. ने राज्य आयोग के दावे के समक्ष 2013 की एक याचिका दायर की।

कोयले की उच्च लागत के लिए प्रतिपूरक शुल्क। अंततः, भारत सरकार की स्थायी संबंध समिति (दीर्घकालिक) ने 31.5.2013 पर एक बैठक आयोजित की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 78000 मेगावाट के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते (संक्षेप में, 'एफ. एस. ए.') पर हस्ताक्षर करने के लिए एक तंत्र को मंजूरी दी। ए. ई. एल. इसका हिस्सा नहीं था। आई. डी. 1 पर, कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में, 'सी. आई. एल.') को ऊपर उल्लिखित क्षमता के लिए एफ. एस. ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए एक राष्ट्रपति निर्देश जारी किया गया था। नई कोयला वितरण नीति, 2013 (एन. सी. डी. पी.)

2013) , 78000 मेगावाट के चिन्हित ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति के लिए संशोधित व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा आईडी1 पर अधिसूचित किया गया था। ए. ई. एल. थर्मल पावर स्टेशनों में से एक नहीं था।

जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

23. विद्युत मंत्रालय ने 31.7.2013 पर एक पत्र जारी किया, जिसमें घरेलू कोयले में कमी के संबंध में कानून में बदलाव पर विचार किया गया था

आश्वासन पत्र (संक्षेप में, 'एल. ओ. ए.') या एफ. एस. ए. में दर्शाई गई मात्रा में। विद्युत अधिनियम के तहत संशोधित शुल्क नीति 28.1.2016 पर जारी की गई थी। ए. ई. एल. को शक्ति नीति के तहत 2018 में कोयले की पूरी आपूर्ति दी गई थी। इसने शक्ति नीति के तहत कोयले की खरीद के लिए एन. सी. एल./एस. ई. सी. एल. के साथ एफ. एस. ए. किया।

24. राज्य आयोग ने अंततः 2013 की याचिका No.392 का फैसला किया, जिसे 17.5.2018 पर एईएल द्वारा दायर किया गया था। ए. ई. एल. को राहत का हकदार माना गया था 2013 के एन. सी. डी. पी. के कारण कानून में परिवर्तन के तहत। ए. ई. एल. को देय मुआवजे की राशि की गणना नहीं की गई थी। से असंतुष्ट

राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश, राजस्थान डिस्कॉम ने बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'एपीटीईएल') के समक्ष एक अपील दायर की। ए. पी. टी. ई. एल. ने दिनांक 14.9.2019 के फैसले के माध्यम से कहा कि ए. पी. आर. एल. की बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी और तदनुसार पी. पी. ए. के संदर्भ में कानून में परिवर्तन घटना और एनर्जी वॉचडॉग बनाम में इस न्यायालय के फैसले के तहत शामिल थी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य। , (2017) 14 एससीसी 80। ए. पी. आर. एल. को शक्ति योजना के तहत कानून में बदलाव के साथ-साथ वहन लागत के भुगतान का भी हकदार माना गया था। कानून में बदलाव की राशि का भुगतान करने के लिए एक और निर्देश जारी किया गया था

25. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने निम्नलिखित तर्कों का आग्रह कियाः (क) ए. पी. आर. एल. जनवरी 2018 से पहले या उसके बाद बिजली की आपूर्ति के लिए आयातित कोयले के उपयोग के लिए किसी भी मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है।

इस तरह के आयातित कोयले का उपयोग ए. पी. आर. एल. द्वारा प्रस्तुत बोली के अनुसार किया गया था और इसे इसके उद्धृत शुल्क के एक हिस्से के रूप में शामिल किया गया था।

(ख) प्रस्तुत बोली दस्तावेजों के अनुसार और पी. पी. ए. ने प्रवेश किया

इसके अनुसरण में, प्रदर्शित करें कि ए. पी. आर. एल. ने आयातित कोयले के लिए भी एक ईंधन स्रोत के रूप में विधिवत निर्धारित और सहमत किया था और उस पर आधारित शुल्क का हवाला दिया था।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ए. पी. आर. एल. कोई मुआवजे का दावा नहीं कर सकता था। अपने सर्वश्रेष्ठ के अनुसार भी

मामले में, एपीआरएल 100 प्रतिशत कोयले की आवश्यकता के संबंध में राहत का हकदार नहीं हो सकता है, लेकिन आयातित कोयले के लिए एफएसए दिनांक 25.6.2009 के तहत मात्रा पर विचार करने के बाद ही शेष प्रतिशत के बारे में दावा कर सकता है।

(च) ए. पी. आर. एल. को दिया गया कोई भी मुआवजा उपभोक्ताओं से वसूल करना होगा, इसलिए यह जनहित को प्रभावित करता है। द. क्षतिपूर्ति शुल्क की गणना और निर्धारण, किसी भी स्थिति में,

राज्य आयोग द्वारा किया जाना चाहिए।

(ज) एपीआरएल ने स्वीकार किया था कि कानून में परिवर्तन के निर्धारण तक दो अवधि अलग-अलग हैं, जो लागत वहन कर रहा है, और उसके बाद चालान जुटाने में, खरीदार द्वारा चूक हो सकती है, जो विलंब भुगतान अधिभार है। चूंकि दोनों अवधियाँ अलग-अलग हैं, इसलिए विलंब भुगतान अधिभार लागू करने का कोई तर्क नहीं है, जो पहली अवधि के लिए दूसरी अवधि के लिए है।

26. फेडरेशन की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने निम्नानुसार तर्क दियाः

(क) मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ए. पी. आर. एल. द्वारा प्रस्तुत बोली घरेलू कोयले या आयातित कोयले पर आधारित थी।

उन्होंने हमारा ध्यान जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड की ओर आकर्षित किया। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

पी. पी. ए., आर. एफ. पी., एल. ओ. एल. और अन्य बोली दस्तावेजों को। बोली और पी. पी. ए. आयातित कोयले पर आधारित थे। केवल आयातित कोयले के आधार पर आर. एफ. पी. के अनुसार ए. पी. आर. एल. की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसके पास घरेलू कोयले के लिए कोई फर्म कोयला लिंकेज या एलओए या एफएसए नहीं था।

(ख) ए. पी. आर. एल. और राजस्थान सरकार के बीच हस्ताक्षरित आई. डी. 1 दिनांकित समझौता ज्ञापन का कोई लाभ नहीं हुआ। केवल केंद्रीय

सरकार एकमात्र निर्णय लेने वाली प्राधिकरण थी जैसा कि समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2.2 से स्पष्ट है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान आर. पी. एफ. दिनांक 26.2.2009 की ओर आकर्षित किया। दिनांकित समझौता ज्ञापन (आई. डी. 1) को ठोस कोयला व्यवस्था के रूप में नहीं गिना जाएगा। ए. पी. आर. एल. ने बोली के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी कंपनी ए. ई. एल. के साथ सी. एस. ए. में प्रवेश किया था। एक बार जब यह आयातित कोयले के आधार पर योग्य हो जाता है, तो यह इसके विपरीत रुख नहीं अपना सकता है। (ग) ए. पी. आर. एल. से स्पष्टीकरण माँगा गया था कि ईंधन के आधार पर किस बोली का मूल्यांकन किया जाना था। स्पष्टीकरण के जवाब में, यह

ए. पी. आर. एल. द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि बोली का मूल्यांकन घरेलू कोयला समझौते के आधार पर किया जाना चाहिए, और एक वचन दिया गया था कि 'घरेलू कोयला वृद्धि' पर विचार करते हुए भुगतान पी. पी. ए. की अवधि के दौरान उसे स्वीकार्य होगा।

(घ) 17.12.2009 पर, राजस्थान डिस्कॉम ने एपीआरएल को सूचित किया कि अनुलग्नक 1 (1200 मेगावाट बिजली प्रदान करने के लिए) में उल्लिखित दरें और वृद्धि दर

घरेलू कोयले पर यह ए. पी. आर. एल. की प्रतिबद्धता पर आधारित है कि उपरोक्त दरें लागू होंगी, भले ही आयातित कोयले के साथ एक समर्थन व्यवस्था के माध्यम से कोयले की आवश्यकता को पूरा किया जाए। ए. पी. आर. एल. ने 18.12.2009 पर बिना शर्त स्वीकृति दी। (ई) रिलायंस को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में, 'आरईआरसी') द्वारा पारित दिनांक 31.5.2010 के आदेश पर रखा गया था। ए. पी. टी. ई. एल. पी. पी. ए. और अन्य पर व्यापक रूप से विचार करने में विफल रहा।

दस्तावेज़। बोली दस्तावेज भी पार्टियों के बीच किए गए पी. पी. ए. का हिस्सा थे।

स्थायी संबंध समिति (दीर्घकालिक)। 2007 के एन. सी. डी. पी. के खंड 2 और 2 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है और अनुमोदन किया गया है। स्थायी संबंध समिति (दीर्घकालिक)। चूंकि ए. पी. आर. एल. के पास कोई कोयला जोड़ने की मंजूरी नहीं थी, इसलिए वह मुआवजे [2020] 12 एस. सी. आर. का दावा करने का हकदार नहीं था।

कानून में परिवर्तन के आधार पर। सी. आई. एल. आपूर्ति नहीं कर सकी। लिंकेज या एल. ओ. ए. का अनुदान कोई मंत्रिस्तरीय अधिनियम नहीं है।

पी. पी. ए. के लिए, एक इकाई को बिजली संयंत्र के लिए ईंधन स्रोत की तैयार उपलब्धता दिखानी होती है। घरेलू कोयले के मामले में, बोलीदाता ने कोयला ब्लॉक आवंटन के माध्यम से ईंधन समझौते के लिए ठोस व्यवस्था की होगी। या ईंधन संपर्क। ये दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिसने 2007 का एन. सी. डी. पी. जारी किया था। यदि पी. पी. ए. में प्रवेश करने पर एल. ओ. ए./एफ. एस. ए./लिंकेज के अनुदान को स्वचालित माना जाना था, तो पात्रता के लिए इस मानदंड की कोई आवश्यकता नहीं थी। एनर्जी वॉचडॉग और नीति में निर्णय की सही ढंग से सराहना नहीं की गई है।

(ज) शक्ति नीति को 22.5.2017 पर अधिसूचित किया गया था। वे आई. पी. पी. एस., जिनके पास घरेलू कोयले पर आधारित पी. पी. ए. थे, लेकिन जिनके पास नहीं थे

2007 के एन. सी. डी. पी. या 2013 के एन. सी. डी. पी. के तहत कोयले की आपूर्ति के लिए एल. ओ. ए. या एफ. एस. ए. अब नीलामी में भाग ले सकते हैं और कोयले की आपूर्ति की अपनी मानक आवश्यकता का 100 प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति नीति के तहत, ए. पी. आर. एल. को पांच वर्षों के भीतर राजस्थान डिस्कॉम को बिजली पैदा करने और आपूर्ति करने के लिए मानक आवश्यकताओं की पूरी सीमा तक कोयले की आपूर्ति दी गई थी। वर्ष 2018 में शक्ति आवंटन इस तथ्य को नहीं बदलता है कि ए. पी. आर. एल. ने 5 करोड़ रुपये के लिए आयातित कोयले को अन्य कोयले के रूप में माना था। वर्षों से। इस प्रकार, कानून में परिवर्तन पर 5 साल बाद ही विचार किया जा सकता था। इसलिए कानून में बदलाव का सवाल ए. पी. आर. एल. के रूप में नहीं उठा

वाणिज्यिक संचालन तिथि (संक्षेप में, 'सीओडी') के 5 वर्षों के भीतर शक्ति नीति के तहत कोयले की आपूर्ति दी गई थी।

(i) यह भी प्रस्तुत किया गया था कि ए. पी. आर. एल. ने अति-चालान किया था, और इस संबंध में, जांच लंबित है। एक अनुरोध पत्र है

जारी किया गया और इस संबंध में एस. एल. पी. (सीआरएल।) 2019 का सं. 10683 इस न्यायालय में लंबित है, जिसमें अंतरिम रोक लगा दी गई है। अतः ए. पी. आर. एल. का दावा मान्य नहीं है। यह भी आग्रह किया गया कि फेडरेशन के पास ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए अपील दायर करने का अधिकार है।

27. ए. पी. आर. एल. की ओर से डॉ. ए. एम. सिंघवी और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने निम्नलिखित तर्क दिएः

(क) (i) ए. पी. आर. एल. द्वारा बोली केवल घरेलू कोयले पर आधारित थी।

जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

((ii) बोली के साथ प्रस्तुत आयातित कोयला समझौते को प्रस्तुत करना केवल यह इंगित करने के लिए था कि बोली लगाने वाला बोली के लिए पात्र है।

((iii) घरेलू कोयले की अनुपलब्धता कानूनी स्थिति में परिवर्तन है।

(iv) एनर्जी वॉचडॉग में निर्णय पूरी तरह से लागू होता है

जिस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आयातित कोयला व्यवस्था में परिवर्तन कानून में परिवर्तन नहीं है, घरेलू कोयला व्यवस्था में परिवर्तन कानूनी घटना में परिवर्तन है।

(ख) ए. पी. आर. एल. कानूनी घटना में परिवर्तन लागू होने की तारीख से लागत वहन करने का हकदार है जैसा कि उत्तर हरियाणा बिजली में इस न्यायालय ने कहा था।

विट्रान निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और ए. एन. आर. वी. अदानी पावर लिमिटेड और अन्य। , (2019) 5 एससीसी 325।

(ग) बोली केवल घरेलू कोयले पर आधारित थी। आर. एफ. पी. शुल्क उद्धृत करने के लिए छह परिदृश्य प्रदान करता है, और बोली लगाने वाला प्रस्तुत कर सकता है किसी भी परिदृश्य के तहत बोली लगाएं। (i) कैप्टिव कोल ब्लॉक (ii) लिंकेज कोयला (iii) आयातित कोयला (iv) आयातित गैस (v) घरेलू गैस और (vi) पनबिजली।

(घ) ए. पी. आर. एल. ने लिंकेज कोयला प्रारूप अर्थात घरेलू कोयले के अनुसार अपनी वित्तीय बोली प्रस्तुत की। शुल्क को लिंकेज कोयले में उद्धृत करने की अनुमति दी गई थी घरेलू कोयले पर लागू प्रारूप। राजस्थान सरकार ने विभिन्न प्राधिकरणों को पत्र लिखकर लगातार प्रयास किए।

(ई) राजस्थान डिस्कॉम ने आर. ई. आर. सी. के समक्ष अपने दिनांक 31.7.2013 के हलफनामे में स्वीकार किया कि केंद्र से कोयले की अनुपलब्धता सरकार ने ए. पी. आर. एल. के मामले को कानून में बदलाव के दायरे में रखा। एक बार जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी, जिसकी अनुपलब्धता एपीआरएल को मुआवजे का दावा करने का अधिकार देती है

पी. पी. ए. के अनुच्छेद 10 के अनुसार कानून में परिवर्तन। वे अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। ए. पी. आर. एल. को शक्ति नीति के तहत कोयला जोड़ने की पात्रता इस बात की पुष्टि करती है कि पी. पी. ए. घरेलू कोयले पर आधारित था। पी. पी. ए. घरेलू कोयले पर आधारित था, और समवर्ती निष्कर्ष किसी भी दुर्बलता या विकृति से पीड़ित नहीं हैं।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांकित 31.7.2013 और शक्ति नीति के तहत पात्रता। (छ) एनर्जी वॉचडॉग में, इस न्यायालय ने 2007 के एन. सी. डी. पी. में परिवर्तन को एक ऐसी परियोजना के लिए कानूनी घटना में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी, जिसके पास बोली जमा करने के समय कोई एल. ओ. ए. या एफ. एस. ए. नहीं था। बोली जमा करते समय लिंकेज/आवंटन होना आवश्यक नहीं था। 2007 के एन. सी. डी. पी. को बदलने के लिए 26.7.2013 पर अधिसूचना जारी की गई थी। कानून की घटनाओं में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

(i) 14.2.2012 पर स्थायी संबंध समिति का निर्णय; और

((ii) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का दिनांकित 21.6.2013 प्रस्ताव और दिनांकित विद्युत मंत्रालय की सलाह।

31.7.2013 , जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा उन मामलों को कवर करने के लिए टैरिफ नीति को 28.1.2016 पर संशोधित किया गया है जिनमें कोयला लिंकेज नहीं है। 2007 की एन. सी. डी. पी. एकमात्र प्रचलित नीति थी जब बोली प्रस्तुत की गई थी और इसे बदल दिया गया था।

एनर्जी वॉचडॉग में निर्णय वर्तमान अपीलों पर पूरी तरह से लागू होता है, जिसमें एन. सी. डी. पी. के उस संशोधन को निर्धारित किया गया था।

2007 का कानून में परिवर्तन है। यह भी देखा गया कि यह तथ्य कि ईंधन आपूर्ति समझौते को पी. पी. ए. के साथ जोड़ा जाना है, केवल संकेत देने के लिए है

कि संयंत्र के काम करने के लिए कच्चा माल क्रम में था। पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने के 10 महीने बाद एफ. एस. ए. की प्रति प्रस्तुत की जानी थी।

(ज) ए. पी. आर. एल. मई 2013 से राजस्थान डिस्कॉम को बिना किसी रुकावट के लगातार बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इस प्रकार, प्रभाव से कानून में परिवर्तन से, ए. पी. आर. एल. समवर्ती रूप से आयोजित मुआवजे का हकदार है।

रे में। क्या प्रस्तुत बोली इस पर आधारित थी

28. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सांविधिक दिशानिर्देशों पर ध्यान देना आवश्यक है 63 विद्युत अधिनियम। 2005 के दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 (II) के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया हैः

पुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

" 3.2 (II) मामले-1 में, खरीद में गंभीर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बोली प्रक्रिया और आपूर्ति की शुरुआत का समय पर पूरा होना

स्थापित किए जाने के लिए, अपनी बोली के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होना चाहिए, विशिष्ट कार्रवाई करने के समर्थन में दस्तावेज

में उल्लिखित मामलों के संबंध में परियोजना प्रारंभिक गतिविधियाँ

(i) से (v) नीचे। i) * * * *

(ii) * * *

iii) * * * *

(iv) ईंधन की व्यवस्थाः (क) निम्नलिखित मामलों में ईंधन की व्यवस्था

उत्पादन के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा के लिए बनाया जाना चाहिए

बिजली स्टेशन के उस चरण से बिजली जिससे बिजली आती है

अवधि के लिए मानक उपलब्धता पर आपूर्ति करने का प्रस्ताव पीपीए।

➤ घरेलू कोयले के मामले में, बोलीदाता ने

ईंधन के लिए ठोस व्यवस्था या तो कोयला ब्लॉक के माध्यम से समझौता करें

आबंटन या ईंधन संयोजन

➤ घरेलू गैस के मामले में,

ख) निम्नलिखित मामलों में ईंधन की व्यवस्था करनी होगी।

बिजली से बिजली उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा कुल स्थापित क्षमता के लिए स्टेशन।

➤ आयातित कोयले के मामले में, बोलीदाता के पास या तो होगा

कम से कम 50 प्रतिशत के लिए सिद्ध भंडार वाली अधिग्रहित खदानें

कोयले की आवश्यक मात्रा या ईंधन की आपूर्ति होगी

आवश्यक कोयले की कम से कम 50 प्रतिशत मात्रा के लिए समझौता

कम से कम पाँच (5) वर्ष की अवधि या पी. पी. ए. की अवधि के लिए, जो कभी कम होता है। ..... '

(जोर दिया गया)

29. 20.3.2008 दिनांकित समझौता ज्ञापन में, जो बीच में किया गया था

एल और राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार ने कोयला लिंकेज/कोयला ब्लॉक को सुरक्षित करने में सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। समझौता ज्ञापन की धारा 2.2 नीचे दी गई हैः

" 2.2 राज्य सुचारू रूप से कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा

परियोजना की आवश्यकता हो सकती है जिसमें इसके लिए सर्वोत्तम प्रयास करना भी शामिल है

केंद्र से कोयला संपर्क/कोयला ब्लॉक प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना।

परियोजना के लिए किसी अन्य स्रोत से सरकार या कोयला। ..... "

(जोर दिया गया)

30. आर. एफ. पी. ईंधन के संबंध में बोली दस्तावेजों का हिस्सा था,

निम्नलिखित के रूप में कटौतीः

गैस, इसकी सोर्सिंग और परिवहन पूरी तरह से विवेक पर छोड़ दिया जाता है बोली लगाने वाले का। सफल बोलीदाताओं को पूरा भुगतान करना होगा।

ईंधन संपर्क और बुनियादी ढांचे को जोड़ने की जिम्मेदारी

2. बोली लगाने वालों के लिए जानकारी और निर्देश 2.1 .2.2 सहमति, मंजूरी और अनुमतियाँः ****

बी। ईंधनः

आई. घरेलू कोयले के मामले में, बोलीदाता ने दृढ़ किया होगा

या ईंधन संपर्क। ऐसी व्यवस्था की मात्रा के लिए होगी बिजली स्टेशन से बिजली उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ईंधन

अवधि के लिए कुल स्थापित क्षमता के लिए मानक उपलब्धता

पी. पी. ए. से।

ii. आयातित कोयले के मामले में बोलीदाता ने या तो अधिग्रहण कर लिया होगा कम से कम पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) के लिए सिद्ध भंडार वाली खदानें

बिजली से बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा

कुल स्थापित क्षमता के लिए मानक उपलब्धता पर स्टेशन

या कम से कम पचास प्रतिशत के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता होगा (50 %) कम से कम पाँच की अवधि के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा

पी. पी. ए. की अवधि के लिए। iii. घरेलू गैस के मामले में,

iv. आर. एल. एन. जी. के मामले में "।

(जोर दिया गया)

पुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

31. दिनांकित 6.8.2009 के बोली दस्तावेजों में ईंधन से संबंधित एपीआरएल, नीचे दिए गए अनुसारः

" घरेलू कोयलाः

लागू नहीं है।

आवंटित खदान का नाम

(खदान आवंटन के मामले में)

लागू नहीं है।

खदान के सिद्ध भंडार

(खदान आवंटन के मामले में)

आवश्यक कोयले की मात्रा

5.544 घरेलू एमएमटीपीए

समर्थन

कोयले में।

पावर स्टेशन

एक पर मानक उपलब्धता

संगणना संलग्न।

वार्षिक आधार और समर्थन

उसी के लिए गणनाः

दस्तावेजों की

विशिष्टताएँ

अडानी समूह ने प्रवेश किया है।

के समर्थन में संलग्न

सरकार के साथ समझौता ज्ञापन। में से

ऊपर।

राजस्थान (जी. ओ. आर.)

कवाई का विकास

विद्युत परियोजना (प्रतिलिपि)

एमओयू, जीओआर ने आश्वासन दिया है कि

आबंटन के लिए समर्थन

कैप्टिव कोयला ब्लॉक या कोयला

जुड़ाव। आवश्यक

इस संबंध में कार्रवाई

एपीआरएल द्वारा लिया जा रहा है और

जीओआर।

आयातित कोयलाः

कैप्टिव कोयला ब्लॉक/कोयला लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार के सहयोग से कवाई परियोजना। राजस्थान से। हालांकि, हमने आयातित की आपूर्ति के लिए भी व्यवस्था की है।

बिजली की कुल आवश्यकता के कम से कम 50 प्रतिशत के लिए कोयला

5 साल के लिए परियोजना, गिरावट समर्थन व्यवस्था के रूप में।

लागू नहीं है।

अधिग्रहित खदान का नाम या

स्वामित्व और देश

लागू नहीं है।

खदान के सिद्ध भंडार

(खदान आवंटन के मामले में)

2.54 कोयले के साथ लाखों मीट्रिक टन

कम से कम पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत)

आवश्यक कोयले की मात्रा

4250 का जीसीवी (एआरबी) होना

बिजली स्टेशन के लिए

किलोकैलरी/किलोकैलरी। समर्थन

एक पर मानक उपलब्धता

संगणना संलग्न।

वार्षिक आधार और समर्थन

उसी के लिए गणना।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ईंधन आपूर्ति की प्रति ईंधन आपूर्ति की प्रति

कम से कम पचास के लिए समझौता

समझौता

तारीख 25

तारीख

जून 2009 में अदानी के साथ

कुल का प्रतिशत (50 प्रतिशत)

एक के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा

एंटरप्राइजेज लिमिटेड

3 मिलियन मीट्रिक टन की आपूर्ति

कम से कम पाँच (5) वर्ष का कार्यकाल

या पी. पी. ए. की अवधि (जो

सितंबर तक आयातित कोयला

2018 संलग्न है। हमारा

यहाँ तक कि कम है) बिजली के लिए

मानक पर स्टेशन

ईंधन आपूर्तिकर्ता एईएल, जो है

कोयले का सबसे बड़ा व्यापार

वार्षिक आधार पर उपलब्धता

देश की कंपनी,

आधार।

लंबी अवधि है

कोयले के साथ व्यवस्था

खदानें

इंडोनेशिया,

में

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका

कोयले के व्यापार के लिए।

दस्तावेजों का विशेष। 25 जून 2009 का एफ. एस. ए.

के समर्थन में संलग्न ऊपर।

मानक उपलब्धता की कोयले की खपत की गणना

यह नीचे दिया गया है:

कवाई ताप विद्युत परियोजना का नाम विद्युत परियोजना। 1320 मेगावाट

कुल क्षमता

आयातित

खास तौर पर

घरेलू

कोयला

क्षमता

1320

एम. डब्ल्यू

1320

%

85 %

मानक

85 %

उपलब्धता वार्षिक

9829

9829

मुस

पीढ़ी एसएचआर

के. सी. एल/के. डब्ल्यू. एच. 2200

2200

किलोकैलरी/किलोकैलरी

4250

3900

जीसीवी

केजी/केडब्ल्यूएच

एससीसी

0.564

0.518

कोयला

एमएमटीपीए

100 %

5.544

5.088

आवश्यकता इस पर मानक

उपलब्धता

कोयला एमएमटीपीए

50 %

2.544

आवश्यकता इस पर मानक

उपलब्धता पुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

31. राजस्थान डिस्कॉम द्वारा 7.9.2009 पर एक पत्र लिखा गया था।

ए. पी. आर. एल. से स्पष्टीकरण कि ईंधन के किस आधार पर, इसकी बोली को अलग किया जाना है। निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगा गया थाः

आर. आई. पी. दिनांक 25.02.09 के अनुसार, निम्नलिखित स्पष्टीकरण/दस्तावेज हैंः आपकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए आवश्यकः

1. ईंधन व्यवस्था के लिए, बोली में घरेलू कोयला दोनों के रूप में

पूर्णकालिक निदेशक/सीईओ होने के नाते, एम. डी./सी. ई. ओ. से एक पत्र के माध्यम से प्रबंधक ईंधन के आधार पर बोली होनी चाहिए

मूल्यांकन किया गया "।

(जोर दिया गया)

दिनांकित 7.9.2009 पत्र के जवाब में, एपीआरएल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की

दिनांक 12.9.2009 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैः

" 1. खंड संख्या 2.4.1 (बी) (ii) के तहत आर. एफ. पी. के प्रावधान के अनुसार,

एक बोलीदाता एक उत्पादन स्रोत से केवल एक मूल्य बोली जमा कर सकता है,

भले ही विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाए।

हम घरेलू और आयातित कोयले का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं कवाई परियोजना के लिए। एक विधिवत निष्पादित ईंधन आपूर्ति समझौता

(एफ. एस. ए.) 50 प्रतिशत से अधिक के लिए यदि किसी अवधि के लिए कोयले की आवश्यकता है

5 वर्ष (ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर. एफ. पी. में निर्दिष्ट) आयातित कोयले का आधार) बोली के साथ प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा, हमने बोली के साथ एक समझौता ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है, जिसे निष्पादित किया गया है

राजस्थान सरकार और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बीच,

जिसमें खंड 2.2 में राज्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का आश्वासन दिया है।

कोयला लिंकेज/ब्लॉक या कोयला प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के प्रयास

विद्युत परियोजना के लिए कोई अन्य स्रोत।

हम आयातित कोयले के आधार पर ईंधन की आवश्यकता को पूरा करते हैं

बांधें। हालांकि, हम निश्चित रूप से घरेलू ईंधन समझौता करेंगे। राजस्थान सरकार के समर्थन से। इसे ध्यान में रखते हुए

यह, हम प्रस्तुत करते हैं कि हमारी बोली का मूल्यांकन किया जाना चाहिए

घरेलू कोयला समझौते का आधार। हम वह भुगतान करते हैं।

घरेलू कोयले की वृद्धि पर विचार करना स्वीकार्य होगा पी. पी. ए. की शर्तों के दौरान "।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. राजस्थान डिस्कॉम ने एक एल. ओ. एल. दिनांक 17.12.2009 जारी किया एल अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को समाहित करता हैः

" 1200 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का आपका प्रस्ताव

अनुलग्नक-1 में उल्लिखित दरें और वृद्धि

घरेलू कोयले पर आधारित है

प्रतिबद्धता है कि उपरोक्त दरें होंगी

कोयले की आवश्यकता के मामले में भी लागू

आप से मिलने के लिए बैक अप के माध्यम से

आयातित कोयले के साथ व्यवस्था। ”

(जोर दिया गया)

35. 18.12.2009 पर ए. पी. आर. एल.,

इसे बिना शर्त संप्रेषित किया

लोल के लिए नृत्य इस प्रकार हैः

" हम आर. आर. वी. पी. एन. एल. एल. एल. एल. एल. No.RVPN/की धन्यवाद प्राप्ति के साथ स्वीकार करते हैं।

सी. ई. (एन. पी. पी. एंड आर.)/डी. 81 दिनांक 17 दिसंबर 2009 को अडानी के पक्ष में पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल)। हमने सामग्री का उल्लेख किया है

लोल और हम इसके द्वारा अपने "बिना शर्त" को संप्रेषित करते हैं।

उसी की स्वीकृति। कृपया इसके साथ संलग्न खोजें

हम प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं अनुच्छेद 2.2 के अनुसार प्रदर्शन की गारंटी। 9 अंतिम आर. एफ. पी. के लिए

1200 एम. डब्ल्यू. आर. ई. आर. सी. की मंजूरी मिलने पर हम आभारी रहेंगे।

अतिरिक्त 200 मेगावाट की खरीद जल्द से जल्द की जाएगी। और निष्पादन के लिए हमारे प्रस्ताव/बोली के आधार पर तैयार किए गए पी. पी. ए. का मसौदा

हमारी ओर से जांच के लिए हमें प्रस्तुत किया जाता है।

(जोर दिया गया)

36. पी. पी. ए. ने अन्य बातों के साथ-साथ पक्षों के बीच प्रवेश किया

देरः

" " ईंधन "का अर्थ होगा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक ईंधन।

बिजली अर्थात् घरेलू कोयला/आयातित कोयला व्यवस्था करें।

खरीद के लिए विक्रेता और ईंधन आपूर्तिकर्ता के बीच, संचालन के लिए आवश्यक ईंधन का परिवहन और संचालन

पावर स्टेशन से।

पुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

यदि ईंधन का परिवहन आपूर्ति किए गए ईंधन की जिम्मेदारी नहीं है, तो ईंधन आपूर्ति समझौते में ईंधन की आपूर्ति के लिए विक्रेता और ईंधन आपूर्तिकर्ता के बीच समझौते के अलावा ईंधन के परिवहन के लिए विक्रेता और ईंधन ट्रांसपोर्टर के बीच अलग समझौता भी शामिल होगा।

5 अनुसूची 5: जनरेशन स्रोत और शक्ति की आपूर्ति का विवरण (ए) उत्पादन स्रोत का विवरण

Sl.No। विशिष्टताएँ

विवरण (प्रारूप 4.13 के अनुसार)

विक्रेता की चयनित बोली)

शक्ति का स्थान

गाँव

कवाई, जिला बारां,

1 .

स्टेशन

(निर्दिष्ट करें

राजस्थान

स्थान, जिला और राज्य)

मौजूद का

2 .

नहीं।

मौजूदा/प्रस्तावित

संस्थापित की संख्या

सी ओडी

$ 1

इकाइयों की क्षमता

इकाइयाँ और स्थापित नं।

प्रत्येक की क्षमता

लागू नहीं होता है

1 .

इकाई (मेगावाट में)

प्रस्तावित

एस 1

संस्थापित अपेक्षित की संख्या

नहीं।

इकाइयों की क्षमता सीओडी

660 एम. डब्ल्यू

1 .

1

जुलाई

2012

660 एम. डब्ल्यू

नवंबर

2 .

2

2012

प्राथमिक ईंधन

कोयला

3 .

अंतिम प्रमुख की तिथियाँ

लागू नहीं है।

4 .

आर एंड एम (इकाईवार)

ईंधन आयातित कोयले की आपूर्ति की अवधि पांच के लिए एफ. एस. ए.

5 .

आपूर्ति समझौते के वर्षों और कैप्टिव कोयला ब्लॉक/लंबा

सावधि कोयला जुड़ाव

(एफएसए)

6 .

शक्ति की मात्रा

एनआईएल

के साथ

अनुबंध किया गया

अन्य खरीदार, यदि

कोई भी (एम. डब्ल्यू. में)

अधिशेष कुल क्षमता का विवरण

7 .

: 1320

एम. डब्ल्यू

निवल क्षमता

क्षमता (मेगावाट में)

: 1215

एम. डब्ल्यू

(ऑक्स उपभोग के बाद

@ 8 %

पी. पी. ए. अब तक निष्पादित किया गया है।

:

एनआईएल

अधिशेष क्षमता

:

(ख) प्राथमिक ईंधन का विवरण

Sl.No। विशिष्टताएँ

विवरण (द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

बोली लगाने वाला)

प्राथमिक ईंधन

लागू कैप्टिव से घरेलू कोयलाः कोयला/कोयला लिंकेज और

1 .

(डालें

आयातित कोयला गिरावट के रूप में

" घरेलू कोयला/आयातित

कोयला/घरेलू (पाइपलाइन)

समर्थन व्यवस्था

गैस/आयातित गैस (आरएलएनजी) "

बंदी कोयला ब्लॉक/लंबा

2 .

ईंधन स्रोत

(लागू होने पर डालेंः " कोयला

कोयला लिंकेज और

इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.) कोयला

आयातित कोयला आपूर्ति एफ. एस. ए.

संपर्क/घरेलू बंदी

पी. पी. ए. की पांच साल की अवधि के

लिए

कोयला

खदान/आयातित

कोयला/घरेलू

(पाइपलाइन)

गैस/आयातित गैस (आर-एलएनजी)

ईंधन श्रेणी

3 .

कोयला)

सी. आई. एल. की सहायक कंपनी का नाम

4 .

बंदी खदान का स्थान

(जैसा लागू होता है)।

लागू नहीं सम्मिलित करने के लिए

बोली लगाने वाला

5 .

लागू मूल्य तंत्र,

जिसके आधार पर

द.

प्राथमिक ईंधन कवर किया गया है

इसके अंतर्गतः

प्रशासित मूल्य

1 .

तंत्र ("एपीएम"); या

2. द्वारा नियंत्रित और अधिसूचित

एक स्वतंत्र नियामक; या

3. द्वारा नियंत्रित और अधिसूचित

भारत सरकार या

भारत

में से

सरकार

उपकरणता।

(केवल गैस के लिए लागू)

(जोर दिया गया)

37. ए. पी. आर. एल. के शुल्क को अपनाते हुए आर. ई. आर. सी. का दिनांकित 31.5.2010 का आदेश

- विद्युत अधिनियम की धारा 63 पर भरोसा किया गया है। वैसा ही।

यहाँ नीचे लिखा गया हैः

" 39. पार्टी द्वारा उठाया गया दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आराम करने से संबंधित है

एम/एस के मामले में ईंधन के लिए योग्यता आवश्यकताएँ। अदानी

पावर राजस्थान लिमिटेड। इस मामले को विस्तार से निपटाया गया है। बोली मूल्यांकन समिति की पहली रिपोर्ट में, जिन्होंने जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड की स्थापना की।

वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

जहाँ तक ईंधन की आवश्यकता का संबंध है, पात्र होने वाला पक्ष

आयातित कोयले के लिए समझौते के आधार पर और साथ ही पाया गया

विचार करने योग्य घरेलू कोयले के उपयोग का विकल्प

घरेलू ईंधन के लिए शुल्क में कम वृद्धि का संभावित लाभ आयातित कोयले से अधिक। खरीदार ने बाद में लिया है

बोलीदाता से दो स्थितियों में वृद्धि को कम करने का वचन अर्थात घरेलू कोयला या आयातित कोयले को शुल्क में लागू किया जाएगा और

इससे उन्होंने कम ईंधन का लाभ उठाने की कोशिश की है।

भारत सरकार और न ही बोली दस्तावेज ऐसी स्थिति का अनुमान लगाते हैं जिसमें आयातित कोयला और घरेलू कोयला दोनों का उपयोग किया जा सकता है

डेवलपर और स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में बोली मूल्यांकन समिति और खरीददार को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो है

उनके सर्वोत्तम हित में "।

(जोर दिया गया)

38. इस संबंध में श्री सी. आर्यमा सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ

वकील ने तर्क दिया कि:

(क) घरेलू कोयले से संबंधित स्तंभ में ईंधन से संबंधित

यह उल्लेख किया गया था कि ए. पी. आर. एल. ने कवाई विद्युत परियोजना के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया था। राजस्थान सरकार ने शुरू में कैप्टिव कोयला ब्लॉक या कोयला लिंकेज के आवंटन का समर्थन किया और ए. पी. आर. एल. और राजस्थान सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि फॉलबैक समर्थन के रूप में, एपीआरएल ने कुल आवश्यकता के कम से कम 50 प्रतिशत के लिए आयातित कोयले की व्यवस्था की थी।

(ख) बोली के अनुसार ईंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी -

बोली लगाने वाला/जनरेटर। जेनरेटर घरेलू कोयले या किसी अन्य ईंधन स्रोत की व्यवस्था करने में असमर्थता के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है। के लिए बोली के तहत योग्यता, बोलीदाता को ईंधन स्रोत सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए दस्तावेजी साक्ष्य सुरक्षित करना था। घरेलू कोयले के लिए, कम से कम 5 वर्षों के लिए मानक आवश्यकता के कम से कम 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए ईंधन और आयातित कोयले, सिद्ध कोयला भंडार या एफ. एस. ए. के साथ अधिग्रहित खदानों के लिए दृढ़ व्यवस्था

की आवश्यकता थी। ए. पी. आर. एल. के पास बोली के समय घरेलू कोयले के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आयातित कोयले के लिए एफ. एस. ए. दिनांक 25.6.2009 एकमात्र दृढ़ व्यवस्था थी।

एपीआरएल के साथ। इसके अलावा, घरेलू कोयले के संबंध में राजस्थान सरकार के साथ इसका दिनांक 20.3.2008 का समझौता ज्ञापन था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोयला भारत सरकार द्वारा था। जनवरी 2018 में शक्ति नीति के तहत एपीआरएल को कोयला आवंटित किया गया था। ए. पी. आर. एल. ने घरेलू कोयला वृद्धि की मांग की थी, जिसे रियायत के रूप में अनुमति दी गई थी; हालाँकि, इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया कि योग्यता आयातित कोयले पर आधारित थी। 3.12.2009 पर आयोजित राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की बोर्ड बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गयाः

" 3. एल-1 बोलीदाता, मेसर्स। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड ने

उल्लिखित दरों पर 1200 मेगावाट बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध (1) घरेलू कोयले की उपलब्धता के बावजूद,

जारी किए जाने वाले एल. ओ. आई. में शर्त का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। एल-1 बोलीदाता, मेसर्स अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड और पावर को

उनके साथ खरीद समझौता (पी. पी. ए.) राजस्थान डिस्कॉम "।

(जोर दिया गया)

(ग) ए. पी. आर. एल. ने एल. ओ. आई. को बिना शर्त स्वीकार कर लिया। पीपीए एक है

पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करने वाला दस्तावेज़। यह घरेलू कोयले के संभावित उपयोग को मान्यता देता है। जनवरी 2018 तक एपीआरएल को कोयला लिंकेज या कोयला ब्लॉक का कोई आवंटन नहीं किया गया था। चूंकि ए. पी. आर. एल. को घरेलू कोयला आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था और उसके बाद, यदि ऐसे घरेलू कोयले को प्रभावित करने वाले कानून में कोई बदलाव होता, तो ए. पी. आर. एल. संभवतः कानून में बदलाव का दावा कर सकता था। ए. पी. आर. एल. ऐसे घरेलू कोयले के बिना भी बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य था।

(घ) वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया कि पी. पी. ए. मुख्य रूप से आधारित था।

घरेलू कोयले पर। आयातित कोयला एक सहायक व्यवस्था थी। अन्यथा यह मानते हुए भी कि कानून में बदलाव के लिए मुआवजे की अनुमति दी जा सकती है, इसे केवल उस सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए जब तक घरेलू और आयातित दोनों कोयले के लिए पी. पी. ए. प्रदान किया जाता है और आयातित कोयले की आवश्यकता का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है, मुआवजे को उक्त सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए। द.

उपरोक्त ईंधन की आवश्यकता का 61 प्रतिशत था।

39. डॉ. ए. एम. सिंघवी, इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील

ए. पी. आर. एल. की ओर से तर्क दिया गया कि बोली और पी. पी. ए. घरेलू कोयले पर आधारित थे। शुल्क को घरेलू कोयला लिंकेज प्रारूप पर भी उद्धृत किया गया था। चूंकि बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी, इसलिए बोली का मूल्यांकन था घरेलू कोयले पर बनाया गया। पी. पी. ए. ने इसके लिए भी प्रावधान किया, जिसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने प्रदान किया।

वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

बाध्यकारी है। एफ. एस. ए. आयातित कोयले के लिए था और बोली केवल बोली योग्यता का आकलन करने के लिए थी। आर. ई. आर. सी. के दिनांकित 31.5.2010 आदेश में, घरेलू कोयले को आधार माना जाता था और प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था। उन्होंने हलफनामे में किए गए प्रवेश और 31.7.2013 और 4.8.2017 दिनांकित संचार और इस तथ्य पर भी भरोसा किया कि शक्ति नीति में भागीदारी की अनुमति केवल तभी थी जब पीपीए घरेलू कोयले पर आधारित था। राजस्थान डिस्कॉम अपने रुख से इनकार नहीं कर सकते। पूरी बोली पूर्व निर्धारित की गई थी और केवल इस पर स्वीकार की गई थी

घरेलू कोयला। इसलिए ए. पी. आर. एल. के दावे को 40 प्रतिशत तक सीमित नहीं रखा जा सकता है।

जब हम अभिलेख पर दस्तावेजों पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि

यह देखते हुए कि पी. पी. ए. की अवधि के दौरान घरेलू कोयले में वृद्धि इसे स्वीकार्य होगी। एल. ओ. एल. दिनांक 17.12.2009 में, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, और घरेलू कोयले पर इसकी वृद्धि इस प्रतिबद्धता पर आधारित थी कि उद्धृत दरें आयातित के साथ एक समर्थन व्यवस्था के माध्यम से ए. पी. आर. एल. द्वारा कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के मामले में भी लागू होंगी। कोयला। एपीआरएल ने 18.12.2009 पर बिना शर्त स्वीकृति भेजी। इस प्रकार, दल इस बात पर सहमत हुए कि बोली का मूल्यांकन घरेलू कोयले के आधार पर किया गया था, और वृद्धि भी घरेलू कोयले पर आधारित थी। तदनुसार, पी. पी. ए. में प्रवेश किया गया था, और पी. पी. ए. में प्राथमिक ईंधन कैप्टिव कोयला ब्लॉक/कोयला लिंकेज और आयातित कोयले से घरेलू कोयला होने का उल्लेख किया गया था।

एक फॉलबैक समर्थन व्यवस्था। यह दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी था।

40. ए. पी. आर. एल. ने 6.8.2009 पर बोली जमा करने से पहले 2.7.2009 पर राजस्थान सरकार के साथ दीर्घकालिक कोयला लिंकेज के लिए आवेदन किया।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसने लिंकेज कोयला प्रारूप को अपनाकर बोली प्रस्तुत की, और शुल्क Rs./Kwh में उद्धृत किया गया था। इसने प्रारूप 4,10, खंड 2.4 के तहत अप्रैल 2009 के पैरा IX के आर. एफ. पी. के अनुसार बोली प्रस्तुत की। 1 , जो लिंकेज कोयला प्रारूप बोली, अर्थात घरेलू कोयले से संबंधित है। पी. पी. ए. के अनुच्छेद 1.1 के तहत, प्राथमिक ईंधन का उल्लेख घरेलू कोयले के रूप में किया गया था। तकनीकी मानदंडों को पूरा करने के लिए बोली योग्यता का आकलन करने के लिए आयातित कोयले के लिए एफ. एस. ए. प्रस्तुत किया गया था। घरेलू कोयला प्राथमिक ईंधन था इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बोली और पी. पी. ए. आयातित कोयले पर आधारित थे।

41. पी. पी. ए. अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी है, और आर. ई. आर. सी. द्वारा शुल्क की मंजूरी घरेलू कोयले पर आधारित थी जैसा कि पैरा से स्पष्ट है।

39 दिनांकित 31.5.2010 आदेश का। राजस्थान डिस्कॉम ने उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की

आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले पर आधारित बोली पर शुल्क में कम वृद्धि के संभावित लाभ के कारण घरेलू कोयला। बोली मूल्यांकन समिति का निर्णय उनके सर्वोत्तम हित में पाया गया। इस प्रकार, ए. पी. आर. एल. की बोली आयातित कोयले पर आधारित नहीं थी, जो राजस्थान डिस्कॉम के पक्ष में नहीं होती और इसके परिणामस्वरूप शुल्क में और वृद्धि होती। इस प्रकार, ए. पी. आर. एल. को उसी मूलभूत आधार के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जिसके आधार पर आर. ई. आर. सी. ने अपनी बोली को मंजूरी दी थी। ए. पी. आर. एल. को दोनों ओर से पीड़ित नहीं किया जा सका। विभिन्न दस्तावेजों और पी. पी. ए. से यह स्पष्ट होता है कि इसकी बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी और अनुमोदित शुल्क घरेलू कोयले पर आधारित था, आर. ई. आर. सी. का आदेश अंतिम, निर्णायक और पक्षों पर बाध्यकारी है; इस पर सवाल नहीं उठाया गया है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राजस्थान डिस्कॉम द्वारा इसके विपरीत कोई भी रुख अपनाने की अनुमति नहीं थी।

42. यह आगे स्पष्ट है कि राजस्थान डिस्कॉम द्वारा आर. ई. आर. सी. के समक्ष दायर किया गया दिनांक 31.7.2013 का जवाब जिसमें इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था।

केंद्र सरकार से घरेलू कोयले की अनुपलब्धता ए. पी. आर. एल. के मामले को कानून में बदलाव के दायरे में लाएगी। आर. ई. आर. सी. के समक्ष राजस्थान डिस्कॉम ने स्वीकार किया कि बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी, जिसकी अनुपलब्धता ए. पी. आर. एल. को पी. पी. ए. के अनुच्छेद 10 में दिए गए कानून में बदलाव के तहत मुआवजे का दावा करने का अधिकार देती है।

43. यह तर्क दिया गया था कि किए गए गलत प्रवेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसे गलत और कथित तथ्य नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त सामग्री और आर. ई. आर. सी. के क्रम को देखते हुए सही स्थिति।

44. इसके अलावा, शक्ति नीति के तहत कोयला लिंकेज प्राप्त करने की पात्रता इस तथ्य पर आधारित थी कि जनरेटर, जो थे कोयला लिंकेज के भीतर नहीं और उनके पी. पी. ए. घरेलू जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर आधारित थे।

वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

लिंकेज कोयला, कोयला लिंकेज के अनुदान के लिए पात्र थे। यदि पीपीए घरेलू कोयले पर आधारित नहीं था, तो एपीआरएल के मामले में विशेष वितरण के तहत घरेलू कोयले को प्राप्त करने के लिए कवाई परियोजना को 4660 मेगावाट क्षमता के तहत शामिल करने की सिफारिश नहीं की गई होगी।

45. यह स्पष्ट है कि इस संबंध में आर. ई. आर. सी. के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्ष किसी भी समस्या से ग्रस्त नहीं हैं।

दुर्बलता या विकृति, और वे बाध्यकारी हैं। चूंकि विद्युत अधिनियम की धारा 125 के तहत अपील का दायरा सी. पी. सी. की धारा 100 के समान है और तथ्यों के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष नहीं हो सकते हैं।

डी. एस. आर. स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम में आयोजित अपील में व्यवधान। राजस्थान राज्य और अन्य। , (2012) 6 एस. सी. सी. 782, तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड बनाम। पी. पी. एन. बिजली उत्पादन

कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (2014) 11 एस. सी. सी. 53 और वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. , (2016) 16 एससीसी 541।

46. हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि एक बार शुल्क की मंजूरी के समय आरईआरसी के समक्ष स्वीकार किया और घरेलू कोयले के शुल्क का मूल्यांकन किया। और 31.7.2013 और 4.8.2017 पर फिर से प्रवेश करने के लिए, यह खंडन के लिए खुला नहीं है क्योंकि पक्षों को विभिन्न चरणों में अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं है जैसा कि सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड v में निर्धारित किया गया है। महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का आधिकारिक परिसमापक (परिसमापन में) और अन्य। , (2018) 10 एस. सी. सी. 707 और आर. एन. गोसैन बनाम। यशपाल धीर (1992) 4 एस. सी. सी. 683।

47. यह तर्क दिया गया था कि एफ. एस. ए. द्वारा अनुबंधित बिजली की आपूर्ति के लिए कच्चे माल की तैयारी को प्रदर्शित करने के लिए जोड़ा गया था

जनरेटर। इसने बोली के आधार को नहीं बदला, चाहे वह घरेलू कोयले पर आधारित हो या आयातित कोयले पर। यदि बोली आयातित कोयले पर आधारित होती, तो आर. ई. आर. सी. द्वारा देखे जाने के अनुसार शुल्क अलग तरह से तय किया जाता, और आयातित कोयले पर शुल्क तय करना राजस्थान डिस्कॉम के लिए फायदेमंद नहीं था। आर. ई. आर. सी. ने पाया कि एफ. एस. ए. केवल कच्चे माल की तैयारी को प्रदर्शित करने के लिए था और अनुबंध के नियमों और शर्तों का निर्धारण नहीं था। आयातित कोयले के लिए एफ. एस. ए. एक स्टैंडबाय व्यवस्था थी, लेकिन पूरी बोली, शुल्क और समझौता घरेलू कोयले पर आधारित था। इस प्रकार, कानून में बदलाव के कारण अनुपलब्धता के परिणामों से बचा नहीं जा सका। एनर्जी वॉचडॉग में, यह देखा गया कि एफ. एस. ए. केवल कच्चे माल की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए है और अनुबंध के नियमों और शर्तों का निर्धारण नहीं करता है।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने तर्क दिया कि एफएसए ईंधन की आवश्यकता के लगभग 61 प्रतिशत से संबंधित है। इस प्रकार, कानून के दावे में परिवर्तन 35 से 40 प्रतिशत तक सीमित हो सकता है। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बोली दोहरी ईंधन पर आधारित नहीं थी, बल्कि घरेलू कोयले पर मूल्यांकन किया गया था। ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि बोली का मूल्यांकन घरेलू आधार पर किया जाए; शुल्क 60 के उपरोक्त अनुपात में निर्धारित किया जाना था: 40 आयातित कोयले और घरेलू कोयले का क्रमशः प्रतिशत। इसके अलावा, हम ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश से पाते हैं कि कानून के प्रावधान में बदलाव घरेलू लिंकेज कोयले की आपूर्ति में कमी तक सीमित होगा। ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को नीचे निकाला गया है:

" 12.5 तत्काल मामले में, हमने पिछले पैराग्राफ में पाया है कि अडानी राजस्थान की बोली घरेलू कोयले पर 100% घरेलू कोयला आपूर्ति आश्वासन के आधार पर आधारित थी।

एन सी डी पी 2007। जब से शक्ति नीति और एफ. एस. ए. को लागू किया गया है इसके तहत अभी भी अडानी राजस्थान को घरेलू कोयले की 100% आपूर्ति के आश्वासन को पूरा नहीं करते हैं, यह होगा कि अडानी

शक्ति नीति के तहत कोयला लिंकेज के अनुदान के बाद भी घरेलू लिंकेज कोयले की आपूर्ति में किसी भी कमी के लिए राजस्थान को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। राजस्थान डिस्कॉम ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि शक्ति नीति की शुरुआत पीपीए के तहत कानून में बदलाव का गठन करती है। उनका तर्क है कि कोयला कंपनियों द्वारा शक्ति एफ. एस. ए. के तहत कोयले की कोई भी कमी अडानी राजस्थान और कोयला कंपनियों के बीच सुलझाए जाने वाला एक संविदात्मक मामला है। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि हम पहले ही जी. एम. आर. कमलंगा मामले में यह मान चुके हैं कि अडानी राजस्थान द्वारा बोली जमा करने के समय एन. सी. डी. पी. 2007 में संविदात्मक शर्तें या सीमाएं मौजूद नहीं थीं। राजस्थान डिस्कॉम का यह तर्क एनर्जी वॉचडॉग निर्णय में निर्धारित सिद्धांत के खिलाफ भी है। शक्ति नीति पहले की तरह जारी है

ए. सी. क्यू. के 75 प्रतिशत तक कोयले की आपूर्ति प्रतिबंध। यदि शक्ति एफ. एस. ए. के तहत घरेलू लिंकेज कोयले की वास्तविक आपूर्ति अधिक है, तो यह बिना काम किए चला जाता है।

यह कहते हुए कि कानून के प्रावधानों में परिवर्तन के तहत जनरेटर की राहत या मुआवजा वास्तविक कमी तक सीमित होगा

घरेलू संपर्क कोयले की आपूर्ति में। हम यह भी ध्यान देते हैं कि यह मानने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है कि शक्ति एफ. एस. ए. एस. के तहत आपूर्ति शक्ति एफ. एस. ए. से पहले की तुलना में अधिक या बेहतर होगी।

जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

12.6 एनर्जी वॉचडॉग फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने

पहले से ही निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया हैः

" 57. ..... ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि जहां तक खरीद की बात है भारतीय कोयले का संबंध इस हद तक है कि आपूर्ति

इन दस्तावेजों के साथ खंड 13.2 में प्रावधान है कि जबकि कानून में परिवर्तन के परिणामों का निर्धारण, पक्षकार करेंगे

इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि

कानून में इस तरह के बदलाव से प्रभावित पक्ष को मुआवजा देना है - मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से, प्रभावित पक्ष को

आर्थिक स्थिति जैसे कि कानून में इस तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है

हुआ।

(जोर दिया गया)

49. यह स्पष्ट किया गया कि ए. पी. आर. एल. इसके तहत राहत पाने का हकदार होगा।

घरेलू लिंकेज कोयले में आपूर्ति में कमी की सीमा तक कानून के प्रावधान में परिवर्तन। इस प्रकार, हम उठाए गए समर्पण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हम एपीटीईएल के निष्कर्षों को उचित, उचित और असाधारण पाते हैं।

50. हमारा ध्यान सांविधिक अनुच्छेद 3.2 की ओर भी आकर्षित किया गया था।

2005 के दिशानिर्देश। यह ईंधन व्यवस्था के संबंध में प्रदान किया गया था। यही प्रावधान है कि घरेलू कोयले के मामले में बोली लगाने वाले ने कोयला ब्लॉक आवंटन के माध्यम से ईंधन समझौते के लिए ठोस व्यवस्था की होगी।

या ईंधन संपर्क। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान सरकार ने घरेलू कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2008 में ए. पी. आर. एल. के साथ एक समझौता ज्ञापन किया था और इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने का बीड़ा उठाया था।

परियोजना के लिए केंद्र सरकार से कोयला ब्लॉक या किसी अन्य स्रोत से कोयला प्राप्त करने के लिए कवाई परियोजना। एक बार जब राजस्थान सरकार ने ऊपर उद्धृत अनुच्छेद 2.2 वाले दिनांक 1 दिनांकित समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया, तो केंद्र सरकार द्वारा कोयला लिंकेज/कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किए जाने की स्थिति में परियोजना के लिए किसी अन्य स्रोत से कोयला उपलब्ध कराना राजस्थान राज्य का दायित्व था। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को कोयला खदान से एपीआरएल को कोयला उपलब्ध कराने के लिए

भी लिखा था, लेकिन कमी के कारण इसकी आपूर्ति एपीआरएल को नहीं की जा सकी। इस प्रकार, राजस्थान सरकार किसी अन्य स्रोत से कोयला उपलब्ध कराने में विफल रही। 2007 का एन. सी. डी. पी. प्रबल रहा

कोयले की आपूर्ति के संबंध में बोली से 7 दिन पहले, बोली की कट-ऑफ तिथि 30.7.2009 थी। यह [2020] 12 एस. सी. आर. के खंड 2 और 2 में प्रदान किया गया था।

2007 का एन. सी. डी. पी. दिनांक 18.10.2007 ने कहा कि सी. आई. एल. द्वारा एफ. एस. ए. के माध्यम से कोयले की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की मानक आवश्यकता के अनुसार 100 प्रतिशत मात्रा पर विचार किया जाएगा। 2007 के एन. सी. डी. पी. के पैरा 5 में प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई. पी. पी.) और कैप्टिव पावर प्लांट, सीमेंट क्षेत्र और स्पंज आयरन क्षेत्र सहित बिजली उपयोगिताओं के लिए सरकार के स्तर पर लिंकेज समिति की वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी। सी. आई. एल. स्थायी संबंध समिति (दीर्घकालिक) द्वारा आवेदनों की मंजूरी के बाद एल. ओ. ए. जारी करेगी। खंड 6.1 में यह प्रावधान है कि

राज्य/केंद्रीय बिजली उपयोगिताओं, सी. पी. पी., स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई. पी. पी.), उर्वरक, सीमेंट और स्पंज आयरन इकाइयों के नए उपभोक्ताओं को प्रशासनिक मंत्रालय के प्रचलित मानदंडों और सिफारिशों के आधार पर एल. ओ. ए. जारी किया जा सकता है। पॉलिसी का पैरा 6.1 नीचे दिया गया हैः

" 6.1 राज्य/केंद्रीय बिजली उपयोगिताओं, सी. पी. पी., स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई. पी. पी.), उर्वरक, सीमेंट और स्पंज आयरन इकाइयों के नए उपभोक्ताओं को प्रशासनिक मंत्रालय के प्रचलित मानदंडों और सिफारिशों के आधार पर एल. ओ. ए. जारी किया जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र के उपभोक्ता को पहले से दिए गए एल. ओ. ए./लिंकेज, मौजूदा क्षमता, योजना अवधि के दौरान क्षमता वृद्धि की आवश्यकता आदि के संबंध में हो सकता है।

51. पैरा 7 नए उपभोक्ताओं के साथ एफ. एस. ए. से संबंधित है। पैरा 7.1 और 7.2 को नीचे निकाला गया हैः

" 7.1 एल. ओ. ए. में निर्धारित मील के पत्थर को सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर कोयला कंपनियां कोयले की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था को कवर करने वाले आवेदक उपभोक्ता के साथ एफ. एस. ए. को निष्पादित करेंगी। एफ. एस. ए. अन्य बातों के साथ-साथ 'ले या भुगतान' सिद्धांत पर आधारित हो।

7.2 एफ. एस. ए. स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई. पी. पी.) और कैप्टिव पावर प्लांटों (सी. पी. पी. एस.), उर्वरक इकाइयों और अन्य उपभोक्ताओं की मानक कोयले की आवश्यकता के 75 प्रतिशत सहित बिजली उपयोगिताओं की मानक कोयले की आवश्यकताओं को कवर करेंगे।

यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं की मानक आवश्यकता के अनुसार 100 प्रतिशत मात्रा सी. आई. एल. द्वारा की जानी थी, जाहिर तौर पर अनुमोदन पर।

स्थायी संबंध समिति द्वारा आवेदन। इसे रखा गया था। कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण लंबित था और अंततः शक्ति नीति के तहत संसाधित किया गया था, और 100 प्रतिशत के लिए लिंकेज जनवरी 2018 से दिया गया था। इस प्रकार, पहले कोयले की मात्रा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा सकती थी।

यह ऐसा मामला नहीं है जहां ए. पी. आर. एल. जयपुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड था। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

अयोग्य घोषित किया गया, लेकिन पूर्व प्रतिबद्धताओं और कोयले की अनुपलब्धता 2007 के एन. सी. डी. पी. के तहत घरेलू कोयला लिंकेज प्राप्त करने में विफलता के रास्ते में आई, जिसे स्वयं 26.7.2013 से बदल दिया गया था।

रे में। कानून में बदलाव

52. ए. पी. आर. एल. का दावा 2013 में कानून में बदलाव की तारीख पर आधारित है। मान लीजिए, इससे पहले 2007 का एन. सी. डी. पी. नियत तिथि पर प्रचलित था, अर्थात, 7 बोली जमा करने से कुछ दिन पहले। एनर्जी वॉचडॉग में भी ऐसी ही स्थिति थी। हालांकि आवेदन प्रस्तुत किया गया था, कोयला लिंकेज प्रदान नहीं किया गया था, और फिर 2013 के एन. सी. डी. पी. के संदर्भ में कानून में बदलाव किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 2013 से कानून में परिवर्तन का लाभ उपलब्ध था। पीपीए घरेलू कोयले पर आधारित था और इसकी उपलब्धता 2007 के एन. सी. डी. पी. पर आधारित थी। बोली जमा करने से पहले आवेदन दाखिल किया गया था। लिंकेज के लिए आवेदन दाखिल किया गया था

समझौते की शर्तें जब बोली पूर्व निर्धारित और स्वीकार की गई थी, और समझौता घरेलू कोयले के आधार पर किया गया था, तो 2013 में 2007 के कानून में परिवर्तन को लागू करना होगा। इस प्रकार, प्रस्तुतिकरण में कहा गया कि सीआईएल द्वारा एपीआरएल को दिए गए किसी भी एलओए या एफएसए के अभाव में भी, 2013 के एन. सी. डी. पी. के कारण पी. पी. ए. पर कानून में परिवर्तन का प्रभाव पड़ा।

54. स्थायी संबंध समिति (दीर्घकालिक) के दिनांक 31.5.2013 के निर्णय से यह स्पष्ट है कि एपीआरएल का आवेदन रखा गया था ठहराव में। इसने 2007 के एन. सी. डी. पी. के आधार पर 2.7.2009 पर कोयला लिंकेज के लिए आवेदन किया। बोली की कट-ऑफ तिथि 30.7.2009 थी, बोली की समय सीमा से 7 दिन पहले, 2007 का NCDP लागू था। स्थायी संयोजन समिति द्वारा 14.2.2012 पर एक निर्णय लिया गया था जिसे 31.5.2013 दिनांकित निर्णय के साथ पढ़ा गया था जो घरेलू कोयले की कमी और आयातित कोयले पर निर्भरता का संकेत देता है। कोयले की कमी के कारण ए. पी. आर. एल. को परेशान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। नए एल. ओ. ए. जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया और सभी लंबित आवेदनों को स्थगित कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों के लिए कोयले की आपूर्ति को 65 प्रतिशत और एसीक्यू के 75 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया। इसने आयातित कोयले की उच्च लागत से गुजरने की अनुमति दी। कोयला मंत्रालय को एन. सी. डी. पी. में उपयुक्त संशोधन करने का निर्देश दिया गया। कोयला मंत्रालय ने आई. डी. 2 पर 2007 के एन. सी. डी. पी. में संशोधन किया और बिजली मंत्रालय ने आई. डी. 1 पर एक पत्र जारी किया, जिसमें कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत का भुगतान करने का प्रावधान किया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपने दिनांक 21.6.2013 के निर्णय में, उपलब्धता के अधीन, कोयले की आपूर्ति को मान्यता दी, 4660 मेगावाट तक जिसका कोई ईंधन संपर्क नहीं है। कवाई परियोजना को उसी में शामिल किया गया था। नीति को संशोधित किया गया था, इस प्रकार 2007 के एन. सी. डी. पी. के तहत भारत सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन छीन लिया गया था। 100 प्रतिशत आपूर्ति का प्रावधान हटा लिया गया था। एनर्जी वॉचडॉग की प्रयोज्यता के संबंध में, एक विवाद उठाया गया है। एनर्जी वॉचडॉग में, यह निर्धारित किया गया था कि कानून में परिवर्तन घरेलू कानून में परिवर्तन पर लागू होता है, न कि विदेशी कानून में परिवर्तन पर। यह आयातित कोयले/विदेशी कानून में बदलाव पर लागू नहीं होता है। यह आग्रह किया गया कि दोनों में 2007 के एन. सी. डी. पी. के तहत दिए गए आश्वासन के आलोक में कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला मंत्रालय को कोयला लिंकेज के अनुदान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

नीति में दिए गए मामलों और आश्वासनों को सरकार की बाद की योजना द्वारा कम कर दिया गया या छीन लिया गया

उपकरणता। नतीजतन, एनर्जी वॉचडॉग में जनरेटर के हाथों में कोई कोयला लिंकेज या एलओए या एफएसए उपलब्ध नहीं था। कट.

कानून के लागू होने की तारीख बोली की समय सीमा से 7 दिन पहले थी और विचाराधीन पीपीए के अनुच्छेद 10 के कानून प्रावधान में परिवर्तन एनर्जी वॉचडॉग में पीपीए के अनुच्छेद 13 के समान है। अनुच्छेद 10 यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" अनुच्छेद 10: कानून में बदलाव

10.1 परिभाषाएँ

इस अनुच्छेद 10 में निम्नलिखित शर्तें होंगीः

अर्थः 10.1. 1 " कानून में परिवर्तन का अर्थ है उस तारीख के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से किसी की घटना, जो बोली की समय सीमा से सात (7) दिन पहले होती है, जिसके परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त आवर्ती/गैर-घटना होती है।

विक्रेता द्वारा आवर्ती व्यय या विक्रेता को कोई आयः

अधिनियमन, प्रभाव में आना, अपनाना, उद्घोषणा, संशोधन, संशोधन या निरसन (पुनः अधिनियमन या पुर विद्युत निगम लिमिटेड के बिना)।

भारत में किसी भी कानून का समेकन), जिसमें नियम और प्रावधान शामिल हैं।

ऐसे कानून के अनुसार बनाए गए विनियम;

कानूनी शक्ति रखने वाले किसी भी भारतीय सरकारी साधन द्वारा किसी भी कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग में परिवर्तन

ऐसी विधि या किसी सक्षम न्यायालय की व्याख्या करना या उसे लागू करना।

- किसी भी सहमति, मंजूरी और परमिट को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यकता का अधिरोपण जिसकी पहले आवश्यकता नहीं थी;

- किसी भी सहमति, मंजूरी और परमिट को प्राप्त करने के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों में परिवर्तन या किसी को भी शामिल करना।

ऐसी सहमति प्राप्त करने के लिए नए नियम या शर्तें,

मंजूरी और परमिट; विक्रेता के किसी भी चूक के कारण को छोड़कर;

इन शर्तों के अनुसार विक्रेता द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए लागू किए गए कर में कोई परिवर्तन या किसी कर की शुरुआत

समझौता।

लेकिन इसमें (i) विक्रेता के शेयरधारकों को वितरित आय या लाभांश पर किसी भी रोक कर में कोई बदलाव, या (ii) उपयुक्त आयोग द्वारा यू. आई. शुल्क या आवृत्ति अंतराल के संबंध में कोई बदलाव या (iii) उपलब्धता की गणना सहित उपयुक्त आयोग द्वारा नियामक उपायों के कारण कोई बदलाव शामिल नहीं होगा।

10.2 कानून में परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए अनुप्रयोग और सिद्धांत

10.2. 1 इस अनुच्छेद 10 के तहत कानून में परिवर्तन के परिणाम का निर्धारण करते समय, पार्टियों को इस सिद्धांत का उचित सम्मान करना होगा।

कि इस तरह से प्रभावित पार्टी को मुआवजा देने का उद्देश्य

कानून में परिवर्तन, मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से, इस अनुच्छेद 10 में विचार की गई सीमा तक, प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करना है जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है।

10.3 कानून में बदलाव के लिए राहत

10.3. 1 निर्माण अवधि के दौरान

कानून में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप, शुल्क में बिजली स्टेशन की पूंजी लागत में वृद्धि/कमी का प्रभाव नीचे दिए गए सूत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा:

प्रत्येक सोलह करोड़ रुपये की संचयी वृद्धि/कमी के लिए पचास लाख रुपये। निर्माण अवधि के दौरान पूंजीगत लागत में, गैर-एस्केलेबल क्षमता शुल्क में वृद्धि/कमी गैर-एस्केलेबल क्षमता शुल्क के शून्य बिंदु दो छह सात (0.267%) के बराबर होगी। विवाद के मामले में अनुच्छेद 14 लागू होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त मुआवजा किसी भी पक्ष को देय होगा, केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन से कुल वृद्धि/कमी सोलह करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक है। 16.50 करोड़)।

10.3. 2 संचालन अवधि के दौरान

राजस्व में किसी भी कमी या खर्च में वृद्धि के लिए विक्रेता को मुआवजा केवल तभी देय होगा जब राजस्व में कमी आई हो।

10.3. 3 अनुच्छेद 10 के तहत किए गए किसी भी दावे के लिए। 1 और 10.3। 2 ऊपर, विक्रेता खरीदारों और उपयुक्त को प्रदान करेगा बिजली स्टेशन की लागत में वृद्धि/कमी या स्थापना के लिए राजस्व/व्यय का दस्तावेजी प्रमाण

कानून में इस तरह के परिवर्तन का प्रभाव।

10.3. 4 संबंधित उपयुक्त आयोग का निर्णय

अनुच्छेद 10.3 में ऊपर उल्लिखित मुआवजे के निर्धारण के लिए। 1 और 10.3। 2 , और जिस तारीख से क्षतिपूर्ति प्रभावी हो जाएगी, लागू कानून के तहत प्रदान किए गए अपील के अधिकार के अधीन दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी।

10.4 कानून में परिवर्तन की अधिसूचना

10.4. 1 यदि विक्रेता अनुच्छेद 10.1 के अनुसार कानून में परिवर्तन से प्रभावित होता है और विक्रेता इस अनुच्छेद 10 के तहत कानून में इस तरह के परिवर्तन के लिए राहत का दावा करना चाहता है, तो वह जल्द से जल्द कानून में इस तरह के परिवर्तन के लिए खरीदारों को नोटिस देगा।

इसके बारे में जागरूक होने के बाद व्यवहार्य या कानून में परिवर्तन के बारे में यथोचित रूप से ज्ञात होना चाहिए।

10.4. 2 अनुच्छेद 10.4 के बावजूद। 1 , विक्रेता इस अनुच्छेद 10.4 के तहत खरीददारों को नोटिस देने के लिए बाध्य होगा।

2 , यहां तक कि पुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड भी। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

यदि यह कानून में परिवर्तन से लाभकारी रूप से प्रभावित है। पूर्वाग्रह के बिना

भौतिकता के कारक या इसमें निहित अन्य प्रावधानों के लिए समझौता, यहाँ निहित खरीदारों को सूचित करने का दायित्व

सामग्री होगी।

बशर्ते कि यदि विक्रेता ने ऐसी सूचना नहीं दी है, तो

खरीददारों को विक्रेता को ऐसी सूचना जारी करने का अधिकार होगा।

10.4. 3 इस अनुच्छेद 10.4 के अनुसार दी गई कोई भी सूचना। 2 करेंगे।

अन्य बातों के अलावा, सटीक विवरण प्रदान करें: ((क) कानून में परिवर्तन; और

((b) विक्रेता पर प्रभाव

10.5 परिवर्तन के कारण शुल्क समायोजन भुगतान

कानून

10.5. 1 अनुच्छेद 10.2 के अधीन, मासिक शुल्क में समायोजन

भुगतान निम्नलिखित से प्रभावी होगा: ((i) स्वीकृति, उद्घोषणा, संशोधन, पुनः अधिनियमन की तिथि।

या भारतीय सरकारी साधन, यदि कानून में परिवर्तन है कानून की व्याख्या में बदलाव के कारण।

10.5. 2 कानून में परिवर्तन के लिए भुगतान इसके माध्यम से किया जाएगा

अनुच्छेद 8.8 में उल्लिखित पूरक विधेयक। हालांकि, मामले में

कानून में परिवर्तन के कारण शुल्क में किसी भी परिवर्तन का, जैसा कि निर्धारित किया गया है

इस समझौते के अनुसार, मासिक बिल

शुल्क में इस तरह के बदलाव के बाद विक्रेता द्वारा उठाया गया शुल्क उचित होगा। बदले हुए शुल्क को प्रतिबिंबित करें।

(जोर दिया गया)

55. उक्त तथ्यात्मक स्थिति विवादित नहीं है और इस पर ध्यान दिया गया है

पैरा 11.5 में पी. टी. ई. एल., जिसे नीचे निकाला गया है:

" 11.5 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि दोनों पी. पी. ए. में,

कानून में परिवर्तन को बाद में किसी भी घटना की घटना के रूप में परिभाषित किया गया है।

तारीख, जो बोली की समय सीमा से सात (7) दिन पहले है।

इसलिए, कानून में परिवर्तन की गणना के लिए स्थिति प्रचलित है

कट-ऑफ तिथि प्रासंगिक है। दोनों ही मामलों में बोली का आधार ईंधन के संबंध में एन. सी. डी. पी., 2007 और वहाँ [2020] 12 एस. सी. आर. के तहत आश्वासन था।

एन. सी. डी. पी. 2007 में 2013 का संशोधन, मई 2013 में एस. एल. सी. (एल. टी.) द्वारा लिया गया निर्णय पी. पी. ए. के तहत कानून में बदलाव के समान है। एन. सी. डी. पी. 2007 में 2013 के संशोधन को मई 2013 में एस. एल. सी. (एल. टी.) के निर्णय की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह कोल इंडिया की प्रतिबद्ध/सुनिश्चित कोयला आपूर्ति को पूरा करने में असमर्थता थी जिसने कोयला मंत्रालय को जून 2013 में सी. सी. ई. ए. के निर्णय के आधार पर जुलाई 2013 में एन. सी. डी. पी. में संशोधन जारी करने के लिए प्रेरित किया। जून 2013 के सी. सी. ई. ए. निर्णय ने निम्नानुसार निर्देश दियाः " आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी. सी. ई. ए.) ने आज बिजली उत्पादकों को कोयले की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित तंत्र को मंजूरी दीः

टेपरिंग के मामलों सहित 78000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए लिंकेज, जिसे 31.03.2015 द्वारा चालू किए जाने की संभावना है। वास्तविक कोयले की आपूर्ति तब शुरू होगी जब दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पी. पी. ए.) किए जाएंगे।

(ii) समग्र घरेलू उपलब्धता और वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 12 वीं पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों के लिए 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और वार्षिक अनुबंधित मात्रा (ए. सी. क्यू.) के 75 प्रतिशत की घरेलू कोयले की मात्रा के लिए एफ. एस. ए. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(iii) अपने शेष एफ. एस. ए. दायित्वों को पूरा करने के लिए, सी. आई. एल. कोयले का आयात कर सकती है और लागत से अधिक के आधार पर इच्छुक ताप विद्युत संयंत्रों (टी. पी. पी.) को इसकी आपूर्ति कर सकती है। टी. पी. पी. एस. स्वयं भी कोयले का आयात कर सकता है। एम. ओ. सी. उपयुक्त निर्देश जारी करेगा (iv) सी. ई. आर. सी. द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार आयातित कोयले की उच्च लागत पर विचार किया जाएगा।

एम. ओ. सी. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उपयुक्त आदेश जारी करेगा। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

नई कोयला वितरण नीति (एन. सी. डी. पी.) का पूरक। एमओपी

सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. को उचित परामर्श जारी करना, जिसमें शामिल हैं -

सक्षम करने के लिए बोली दिशानिर्देशों में यदि कोई संशोधन किया गया है

उच्चतर के माध्यम से जाने का निर्णय लेने के लिए उपयुक्त आयोग

मामले के आधार पर आयातित कोयले की लागत। (v) कोयले की आपूर्ति के लिए तंत्र का पता लगाया जाएगा, बशर्ते कि

4660 मेगावाट क्षमता वाले टी. पी. पी. और इसी तरह के अन्य उपकरणों की उपलब्धता

ऐसे मामले जिनका कोई कोयला संबंध नहीं है लेकिन होने की संभावना है

31.03.2015 द्वारा कमीशन किया गया, जिसमें दीर्घकालिक पी. पी. ए. और एक उच्च

बैंक एक्सपोजर और उपरोक्त निर्णयों को प्रभावित किए बिना।

(जोर दिया गया)

56. नीति और निर्धारित नियमों और शर्तों में परिवर्तन

किसी भी सहमति, मंजूरी और परमिट प्राप्त करने या शामिल करने के लिए

ऐसी सहमति, मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई नए नियम या शर्तें,

और परमिट भी शामिल हैं। अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि विदेशी कानून में बदलाव के कारण लाभ मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, गलत तथ्यात्मक आधार पर आधारित है। विदेशी कानून में बदलाव के आधार पर राहत का दावा नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वीकार को कानून में बदलाव पर निर्भर किया गया है। पी. पी. ए. घरेलू कानून पर आधारित था और घरेलू कानून में बदलाव आया। अतः इसके परिणाम सामने आने चाहिए। राजस्थान सरकार ने एपीआरएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

2008 में कोयला लिंकेज या अन्य से कोयला प्रदान करने के लिए कोयला लिंकेज के संबंध में

स्रोतों।

57. हम वर्तमान मामले के साथ-साथ ऊर्जा में भी समानता पाते हैं।

वॉचडॉग। तथ्यात्मक मैट्रिक्स वर्तमान मामले के समान था। हम पाते हैं कि आरईआरसी और एपीटीईएल ने तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं। हमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल शामिल नहीं है। एनर्जी वॉचडॉग में यह माना गया था कि 2007 के एन. सी. डी. पी. में 26.7.2013 के निर्णय से कानून में बदलाव लाया गया था। यह अनुच्छेद 10.2 में प्रदान किया गया है। 1 प्रभाव की भरपाई के लिए कानून में परिवर्तन कैसे लागू किया जाना है।

58. कानून में बदलाव का उद्देश्य मासिक रूप से इसे बहाल करना है।

प्रशुल्क भुगतान इस हद तक माना जाता है कि प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में रखा गया है जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि घरेलू कानून पर मासिक शुल्क तय किया गया था, इसलिए आवश्यकता [2020] 12 एस. सी. आर. की है।

कानून में बदलाव के कारण उस आधार पर क्षतिपूर्ति करें। उसी पर आधारित है पुनर्स्थापन का सिद्धांत। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू. एच. बी. वी. एन. एल.) में, इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया थाः

कानून में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति करता है और जो प्रभावित पक्ष को मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से इसे बहाल करना होगा

उसी आर्थिक स्थिति में जैसे कि कानून में इस तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है

हुआ। इसका मतलब यह होगा कि इस खंड द्वारा एक कल्पना बनाई गई है, और पार्टी को उसी आर्थिक स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसे कि

कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात पक्ष को दिया जाना चाहिए।

सिविल कानून में समझे गए पुनर्स्थापन का लाभ। अनुच्छेद 13.2, हालाँकि, इस तरह की बहाली को दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया जाता है

अवधियाँ। पहली अवधि "निर्माण अवधि" है जिसमें

शुल्क में परियोजना की पूंजी लागत में वृद्धि/कमी करना है

एक निश्चित सूत्र द्वारा नियंत्रित किया जाए। लेकिन विक्रेता को यह करना होगा कि खरीददार को इस तरह की वृद्धि का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करें /

इस तरह के परिवर्तन के प्रभाव को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में कमी

यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा केवल किसी भी पक्ष को देय है केवल उस तारीख से प्रभावी जिस दिन कुल वृद्धि/कमी हुई हो।

उसमें बताई गई राशि से अधिक है।

(जोर दिया गया)

यह भी माना गया कि वहन लागत उस तारीख से देय है

कानून में परिवर्तन हुआ है, और वहन लागत पुनर्स्थापन सिद्धांत पर पारित की जाती है। अनुच्छेद 10.2। 1 विचाराधीन पी. पी. ए. का प्रावधान एनर्जी वॉचडॉग में विचार किए गए अनुच्छेद 13.2 के समान है। वहन लागत और कुछ नहीं बल्कि महीने के समय मूल्य/विलंबित भुगतान के प्रति क्षतिपूर्ति है। अनुच्छेद 8.3। 5 भुगतान में देरी के मामले में कार्यप्रणाली प्रदान करता है।

59. जब प्राप्त करने के संबंध में नीति में परिवर्तन किया गया था

कोयला ही, जिस पर पी. पी. ए. में सहमति हुई थी, कानून में परिवर्तन लागू होगा। एनर्जी वॉचडॉग में यह इस प्रकार देखा गया थाः

" 56. तथापि, जहाँ तक परिवर्तन के लिए खंड 13 की प्रयोज्यता का संबंध है।

भारतीय कानून के संबंध में, प्रतिवादी दृढ़ आधार पर हैं। यह.

यह खंड 13.1 के तहत देखा जाएगा। 1 अगर कोई बदलाव है

परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त सहमति, अनुमोदन या लाइसेंस, पुर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड।

वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

इसे संशोधित किया गया है क्योंकि सरकार ने अब कोयले की आपूर्ति के लिए एक संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय लिया गया है कि समग्र घरेलू उपलब्धता और बिजली परियोजनाओं की संभावित आवश्यकता को देखते हुए, बिजली परियोजनाएं केवल एक निश्चित राशि की हकदार होंगी। जो पहले स्वीकार्य था उसका प्रतिशत। इस मामले में, 31-7-2013 पर, निम्नलिखित पत्र, जो विस्तार में दिया गया है, निम्नानुसार हैः

एफ. यू.-12/2011-आई. पी. सी. (खंड-III)

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

तारीखः 31-7-2013

को,

सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग,

चंदरलोक भवन, जनपथ,

नई दिल्ली

विषयः घरेलू कोयले की उपलब्धता में कमी और एन. सी. डी. पी. में परिणामी परिवर्तनों के कारण संपन्न पी. पी. ए. में शुल्क पर प्रभाव। रेफ. सी. ई. आर. सी. का डी. ओ. सं. 10/5/2013-सांविधिक सलाह/सी. ई. आर. सी. दिनांक 20-5-2013।

साहब,

बिजली संयंत्रों के कोयले की मांग को देखते हुए जो थे

सरकार द्वारा कोयला लिंकेज प्रदान किया गया। मार्च 2009 के बाद भारत और सी. आई. एल. ने किसी भी ईंधन आपूर्ति समझौते (एफ. एस. ए.) पर हस्ताक्षर नहीं किए, स्थिति की समीक्षा के लिए सरकार में विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें आयोजित की गईं। फरवरी 2012 में, यह निर्णय लिया गया था कि आश्वासन पत्र (एल. ओ. ए.) में उल्लिखित कोयले की पूरी मात्रा के लिए एफ. एस. ए. पर 20 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें [2020] 12 एस. सी. आर. के शुल्क के लिए 80 प्रतिशत का ट्रिगर स्तर होगा।

हतोत्साहित करना और 90 प्रतिशत प्रोत्साहन शुल्क के लिए। इसके बाद, एम. ओ. सी. ने संकेत दिया कि सी. आई. एल. ए. सी. क्यू. के 80 प्रतिशत स्तर पर घरेलू कोयले की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होगी और इस अंतर को पाटने के लिए सी. आई. एल. को कोयले का आयात करना होगा। कोयले/ई-नीलामी के आयात के कारण बिजली की बढ़ती लागत और संपन्न पी. पी. ए. एस. के शुल्क पर इसके प्रभाव के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और सी. ई. आर. सी. की सलाह मांगी गई।

2. इस संबंध में सभी पहलुओं और सी. ई. आर. सी. की सलाह पर विचार करने के बाद, सरकार ने जून 2013 में निम्नलिखित निर्णय लिए हैंः (i) समग्र घरेलू उपलब्धता और वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, घरेलू कोयला घटक के लिए एफ. एस. ए. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

((ii) अपने शेष एफ. एस. ए. दायित्वों को पूरा करने के लिए, सी. आई. एल. कोयले का आयात कर सकती है और लागत के साथ इच्छुक टी. पी. पी. को इसकी आपूर्ति कर सकती है। यदि वे चाहें तो टी. पी. पी. स्वयं भी कोयले का आयात कर सकते हैं। (iii) सी. ई. आर. सी. द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार आयातित कोयले की अधिक लागत पर विचार किया जाएगा।

3. कोयला मंत्रालय ने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से नई कोयला वितरण नीति (एन. सी. डी. पी.) में परिवर्तनों को अधिसूचित किया है।

सी. सी. ई. ए. द्वारा 12 वीं योजना के अगले चार वर्षों के लिए कोयले की आपूर्ति के संबंध में (प्रति संलग्न)।

4. सरकार के निर्णय के अनुसार, आयात/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की उच्च लागत को सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. और सी. आई. एल. में इंगित मात्रा में कमी की सीमा तक पारित करने के लिए माना जाना चाहिए। घरेलू कोयले की आपूर्ति जो 12 वीं के शेष चार वर्षों के लिए एल. ओ. ए. का न्यूनतम 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत होगी।

शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर पहले से ही संपन्न पी. पी. ए. के लिए योजना बनाएँ।

5. ई. आर. सी. को सलाह दी जाती है कि वे जनहित में मामले-दर-मामले के आधार पर उचित प्रक्रिया के अनुसार इस संबंध में व्यक्तिगत बिजली उत्पादकों के अनुरोध पर विचार करें। उपयुक्त आयोगों से अनुरोध है कि वे सरकार के उपरोक्त निर्णय को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

आर विद्युत वितारण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

यह एम. ओ. एस. (पी) आई/सी. के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

एन. सी. एल.: जैसा कि ऊपर बताया गया है।

आपकी वफादारी से,

ए

सडी /

(वी. अप्पाराव)

निर्देशक

यह संशोधित टैरिफ नीति दिनांक 28-1 में भी परिलक्षित होता है।

16 , जो पैरा 1 में निम्नानुसार हैः

1.1 . विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन में,

2003 , केंद्र सरकार ने 6 पर शुल्क नीति को अधिसूचित किया

1-2006 . शुल्क नीति में और संशोधनों को अधिसूचित किया गया

31-3-2008,20-1-2011 और 8-7-2011 पर। शक्तियों के प्रयोग में

केंद्र सरकार संशोधित शुल्क नीति को अधिसूचित करती है प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होने के लिए

भारत का राजपत्र।

कुछ भी किए जाने या की गई किसी कार्रवाई के बावजूद या

के प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया है

6-1-2006 पर अधिसूचित टैरिफ नीति और किए गए संशोधन

ऐसा माना जाए कि यह किया गया है या इसके प्रावधानों के तहत लिया गया है संशोधित नीति।

खंड 6.1 में कहा गया हैः 6.1 . बिजली की खरीद

जैसा कि पैरा 5.1 में निर्धारित है, भविष्य के लिए बिजली की खरीद

आवश्यकताएँ पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होनी चाहिए।

केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उपयोग करते हुए बोली तंत्र

समय-समय पर सरकार। ये दिशानिर्देश प्रदान करते हैं -

बेस लोड आवश्यकताओं के लिए अलग से बिजली की खरीद

और पीक लोड आवश्यकताओं के लिए। यह सेटिंग को आसान बनाएगा।

विशेष रूप से ऐसी क्षमताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि

आवश्यकताएँ।

हालांकि, कुछ प्रतिस्पर्धी बोली परियोजनाओं के अनुसार

दिनांकित 19-1-2005 दिशानिर्देशों ने [2020] 12 एस. सी. आर. में कठिनाइयों का अनुभव किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोल इंडिया लिमिटेड से कोयले की आवश्यक मात्रा प्राप्त करना

(सीआईएल)। सी. आई. एल. द्वारा आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले की कम मात्रा के मामले में, आश्वासन पत्र/एफ. एस. ए. में दर्शाई गई सुनिश्चित मात्रा या मात्रा की तुलना में, कमी को पूरा करने के लिए खरीदे गए आयातित/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की लागत, जारी परामर्श के अनुसार, मामले-दर-मामले के आधार पर उपयुक्त आयोग द्वारा पारित किए जाने के लिए विचार किया जाएगा।

विद्युत मंत्रालय द्वारा ओ. एम. नं. एफ. यू.-12/2011-आई. पी. सी. (खंड-III)

दिनांकित 31-7-2013 "।

उपरोक्त पैरा में इस संबंध में चर्चा की गई थी कि -

किसी भी सहमति, मंजूरी और परमिट प्राप्त करने के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों में परिवर्तन। कानून में परिवर्तन में यह प्रावधान नहीं है कि सी. आई. एल. द्वारा अनुमोदन पत्र जारी किया जाना चाहिए, जैसा कि कानून में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद 10.1 में दिया गया है। भले ही प्रक्रिया बदल दी गई हो, उसे लागू किया जाना है।

रे में। शक्ति नीति 2017

60. 22.5.2017 पर अधिसूचित शक्ति नीति के तहत, वे

स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आई. पी. पी.), जिनके पास घरेलू कोयले पर आधारित पी. पी. ए. थे, लेकिन जिनके पास 2007 के एन. सी. डी. पी. या 2013 के एन. सी. डी. पी. के तहत कोयले की आपूर्ति के लिए एल. ओ. ए. या एफ. एस. ए. नहीं था, वे कोयले की आपूर्ति की मानक आवश्यकता का 100 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए नीलामी में भाग ले सकते हैं। पात्रता इस तथ्य पर आधारित थी कि पी. पी. ए. घरेलू आपूर्ति पर आधारित था। शक्ति नीति के तहत, ए. पी. आर. एल. को पी. पी. ए. में उल्लिखित महत्वपूर्ण शर्तों के कारण राजस्थान डिस्कॉम को बिजली पैदा करने और आपूर्ति करने के लिए मानक आवश्यकताओं की पूरी सीमा तक कोयले की आपूर्ति दी गई थी।

61. यह तर्क दिया गया कि आयातित कोयला वैकल्पिक कोयले के रूप में 5 वर्षों के लिए उपलब्ध था, इसलिए कानून में बदलाव के आधार पर एपीआरएल को कोई राहत नहीं दी जा सकती थी। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 10.1 के अनुसार कानून में परिवर्तन हुआ था; इस प्रकार, इसके विपरीत प्रस्तुत करना असमर्थनीय है।

26. यह तर्क दिया गया कि ए. पी. आर. एल. ने बिना शर्त शर्तों को स्वीकार किया

18.12.2009 पर LoI दिनांकित 17.12.2009 में। प्रस्तुत करना उतना ही व्यर्थ है जितना कि अनुच्छेद 1 और अनुसूची 5 के तहत पी. पी. ए. में घरेलू कोयले को प्राथमिक ईंधन के रूप में और आयातित कोयले को फॉलबैक व्यवस्था के रूप में प्रदान किया गया है। जबकि कानून में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 10 में किया गया था। अनुच्छेद 15.6।

2 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड

पी. पी. ए. सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ को हटा देता है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 15.6. 2 इस समझौते में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस समझौते या बिजली की आपूर्ति से संबंधित सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ, प्रस्ताव या हर प्रकार के अन्य संचार

इस समझौते के तहत खरीददारों को संविदित क्षमता

विक्रेता को हटा दिया जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा।

63. पी. पी. ए. का अनुच्छेद 10 स्पष्ट रूप से आकर्षित करता है कि कानून में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा था। अनुच्छेद 10 को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है।

समझौता बाध्यकारी है और इसे कायम रहना चाहिए। 64. श्री सी. आर्यमा सुंदरम द्वारा उठाया गया तर्क कि लागत वहन करना एक दंडात्मक प्रावधान है, के निर्णय को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू. एच. बी. वी. एन. एल.) में इस न्यायालय ने, जिसमें वहन लागत के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वहन लागत प्रतिपूर्ति सिद्धांत के संदर्भ में देय थी। वहन लागत का भुगतान उसी आधार पर किया जाना है जो पी. पी. ए. में अन्य बकाया के लिए प्रदान किया गया है।

65. यह तर्क दिया गया था कि आरईआरसी और एपीटीईएल ने ऐसा नहीं किया था

राशि निर्धारित की। यह स्पष्ट है कि इस सिद्धांत पर आरईआरसी के साथ-साथ एपीटीईएल द्वारा भी काम किया गया है। राजस्थान डिस्कॉम को ए. पी. आर. एल. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित करने और निर्णय और आदेश के संदर्भ में भुगतान करने के लिए परिमाणीकरण निर्देश जारी किए गए हैं। आर. ई. आर. सी. के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी।

66. इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि आर. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. ने इसके पक्ष में समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं

कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रतिवादी, जिसके साथ हम भी सहमत हैं, अब हम विलंब भुगतान अधिभार के संबंध में अपीलार्थियों-राजस्थान डिस्कॉम के दायित्व के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में, अनुच्छेद 8.3 के बाद। 5 और पी. पी. ए. का 8.8, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, नीचे निकाला गया हैः

" 8.3. 5 . खरीददारों द्वारा देय तिथि के बाद मासिक बिल के भुगतान में देरी की स्थिति में, ऐसे खरीददारों द्वारा विक्रेता को विलंबित भुगतान अधिभार, देय एस. बी. ए. आर. प्रति वर्ष से दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) की दर से देय होगा, बकाया भुगतान की राशि पर, जिसकी गणना [2020] 12 एस. सी. आर. के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक आधार पर (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) की जाती है।

विलम्ब। विक्रेता द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार का दावा किया जाएगा।

पूरक विधेयक के माध्यम से।

8.8 पूरक बिल का भुगतान (पूरक) 8.8. 1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर एक विधेयक उठा सकता है

बिल) के कारण भुगतान के लिए:

i) क्षेत्रीय ऊर्जा खाते द्वारा आवश्यक समायोजन (यदि

लागू);

(ii) अनुसूची 4 के प्रावधानों के अनुसार मापदंडों में परिवर्तन के लिए शुल्क भुगतान; या (ग) अनुच्छेद 10 में दिए गए कानून में परिवर्तन, और

पूरक बिल का भुगतान दूसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा।

8.8. 2 खरीददार एक के तहत देय सभी राशियों का भुगतान करेंगे।

विक्रेता द्वारा नियत तिथि तक विक्रेता के निर्दिष्ट खाते में अतिरिक्त बिल उठाया जाता है और उसी दिन विक्रेता को इस तरह के प्रेषण के बारे में सूचित किया जाता है या विक्रेता ऋण पत्र के माध्यम से ऐसी राशि निकालने का पात्र होगा। इसी तरह, विक्रेता सभी भुगतान करेगा। संबंधित प्रोक्योरर के निर्दिष्ट बैंक खाते में नियत तारीख तक प्रोक्योरर (ओं) द्वारा उठाए गए पूरक बिल के तहत देय राशि और उसी दिन ऐसे प्रोक्योरर (ओं) को इस तरह के भुगतान के बारे में सूचित करें। खरीददार (ओं) द्वारा ऐसे भुगतानों के लिए, अनुच्छेद 8.3 के अनुसार मासिक बिलों पर लागू छूट। 6 समान रूप से लागू होगा।

8.8. 3 किसी भी पक्ष द्वारा पूरक बिल के भुगतान में उसकी नियत तिथि के बाद देरी होने की स्थिति में, मासिक बिल पर लागू होने वाली समान शर्तों पर विलंबित भुगतान अधिभार देय होगा।

अनुच्छेद 8.3 में। 5 . 8.9 इस अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाने वाले सभी नोटिसों/प्रस्तावों की प्रतियां एक पक्ष द्वारा भेजी जाएंगी।

सभी पक्षों के लिए एक साथ "।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रत्येक दिन के लिए एक दिन और आधार (और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि) पर गणना की गई बकाया भुगतान की राशि पर विलंबित भुगतान अधिभार की देनदारी, जो अपीलार्थियों पर लगाई गई है, लागू एस. बी. ए. आर. की राशि से 2 प्रतिशत अधिक है।

विलम्ब। इसलिए, अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम पर विलंबित भुगतान अधिभार के भुगतान का भारी दायित्व होगा।

67. ब्याज/विलंबित भुगतान अधिभार के सवाल के संबंध में, हम देखते हैं कि कानून में बदलाव की याचिका शुरू में एपीआरएल द्वारा उठाई गई थी।

वर्ष 2013। ए. पी. आर. एल. द्वारा वर्ष 2013 में ही इस आधार पर अपना दावा करते हुए एक मामला भी दायर किया गया था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम ने कानून में परिवर्तन के संबंध में दावे की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण ए. पी. आर. एल. वर्ष 2013 में कानून में परिवर्तन की तारीख से बिलों को उठाने से वंचित था। अतः हमारा यह मत है कि

इस मामले के तथ्यों की समग्रता पर विचार करते हुए और पूर्ण न्याय करने के लिए और अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम के दायित्व को कम करने के लिए, मासिक विश्राम के साथ प्रति वर्ष लागू एस. बी. ए. आर. से 2 प्रतिशत अधिक का भुगतान अधिक होगा। हमारी राय में, अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम को संबंधित वर्षों के लिए लागू एस. बी. ए. आर. के अनुसार ब्याज/विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करने का निर्देश देना उचित होगा, जो प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि मासिक विश्राम के बजाय ब्याज प्रति वर्ष चक्रवृद्धि किया जाएगा।

68. हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि ब्याज/विलंबित भुगतान अधिभार की दर एस. बी. ए. आर. पर होगी, जो प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाएगी और एस. बी. ए. आर. से ऊपर का 2 प्रतिशत (जैसा कि पी. पी. ए. के अनुच्छेद 8.3.5 में दिया गया है) वर्तमान मामले में नहीं लिया जाएगा।

69. इससे पहले कि हम मामले को छोड़ दें, हम देख सकते हैं कि श्री प्रशांत भूषण ने अति-चालान के संबंध में निवेदन उठाया था। वह.

चालान, प्रस्तुतिकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि ओवर-इनवॉयसिंग है। हमने बहुत सावधानी के साथ गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच की है, और हमने पाया है कि आर. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। पहलू के संबंध में कि बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी, हम पाते हैं कि दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं।

संघ की स्थिरता के बारे में एक सवाल उठाया गया था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि फेडरेशन आर. ई. आर. सी. से पहले पार्टी थी, और ए. पी. टी. ई. एल. ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।आवेदन पर। इस न्यायालय द्वारा आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। हो सकता है। राजस्थान डिस्कॉम द्वारा की गई अपील को देखते हुए, ओ. टी. ने फेडरेशन की अपील की स्थिरता की जांच की और एक अपील दायर की। हम सवाल को खुला छोड़ देते हैं।

पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील आंशिक रूप से हैं

o जैसा कि ऊपर बताया गया है।

लागत के बारे में आदेश दें।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

एल.